प्राधिकरण बोर्ड की 163वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

तिथि :- 07 मई, 2018

समय :- पूर्वाह्न 11.30 बजे

स्थान :- मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 07.05.2018 में
विचारणीय प्रस्तावों की विषय सूची

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
01	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.12.2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.12.2017 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	10
03.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	28
04.	निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्राधिकरण की सम्पत्तियों को पी0पी0पी0 मोड पर विकास किये जाने के सम्बन्ध में।	29
05.	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अध्याय 26 के अनुसार आवासीय भूखण्डों पर बहु-आवासीय इकाईयों के निर्माण के सम्बन्ध में।	31
06.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में।	34
07.	नियोजित रूप से विकसित/स्वीकृति उपरान्त विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले मानचित्रों के सम्बन्ध में।	43
08.	जानकीपुरम् योजना के सेक्टर-जे विस्तार के अंश भाग पर पुनर्नियोजन कर तैयार किये गये एवं व्यवसायिक भूखण्ड से सम्बन्धी तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	44
09.	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट/मेडिकल साइंस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ परिसर से एकेडमिक ब्लॉक भवन के मध्य सब-वे कनेक्ट करने के सम्बन्ध में।	45
10.	यू0पी0 एस्बेस्ट्स लि0, ग्राम-मऊ, तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ के क्षेत्रफल 19.088 हे0 भूमि का भू-उपयोग आवासीय से औद्योगिक में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	47
11.	श्री सुभाष चन्द्र, लेखाकार की पत्नी श्रीमती संध्या श्रीवास्तव की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 6,45,357/- (रूपये छः लाख पैतालीस हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की प्रतिपूर्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	59

12.	आश्रयहीन भवन सेक्टर-एच, बसंतकुंज, हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में प्रस्ताव संख्या-14 पर लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार कर प्राधिकरण की वैध आवंटियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	63
13.	विकास प्राधिकरणों में समूह-'ग' एवं 'घ' (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	66
14.	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम-बिजनौर की 11.2 हे0 आवासीय एवं 5.6 हे0 भूमि पर एस0टी0पी0 भू-उपयोग दर्शित कराने एवं इसके साथ ही ग्राम-बिजनौर की अवशेष भूमि एवं ग्राम-रसूलपुर, इथुरिया का भू-उपयोग के निर्धारण हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को अभिकरण नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	67
15.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के 15 से 19 वर्ष पुराने 03 अदद हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं पूर्व में निष्प्रयोज्य 11 हल्के वाहनों के स्थान पर 06 अदद नये विद्युत चालित हल्के वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	72
16.	चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु मा0 मंत्री परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।	75
17.	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा-संशोधित 2011/2016) के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों पर स्टिल्ट फ्लोर की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	78
18.	मा0 विधान परिषद की अंकुश समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अनार्जित भूमि खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सापेक्ष भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।	81
19.	द हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 लखनऊ द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-10507/एमबी/2010 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 एवं पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के अनुपालन में समिति को भूमि देने विषयक।	84
	मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाक 30.12.2017 का कार्यवृत्त दिनांक 17.01.2018 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 30.12.2017 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 162वीं बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः—

01.	श्री अनिल गर्ग	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री प्रभु एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री कौशल राज शर्मा	जिलाधिकारी, लखनऊ।
04.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री डी0सी0 गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।
06.	श्री मो0 सलीम अहमद	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्री एम0के0 भाटिया	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
08.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन।

अन्य उपस्थितिः—

09.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	श्री अनिल भट्नागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	श्री आर0के0 सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री विश्व भूषण मिश्र	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री आर0जी0 सिंह	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का स्वागत किया गया तथा उपस्थित सदस्यों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1क	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.05.2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
विषय संख्या : 1ख	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को पूर्व में ही कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। दिनांक 24.05.17 को सम्पन्न बैठक में पुष्टि हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में अद्यतन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
विषय संख्या : 2क	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.05.2017 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:–

- अनिस्तारित एवं रिक्त सम्पत्तियों (आवासीय एवं व्यवसायिक) के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जन–सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत जो भी सम्पत्ति वेबसाइट पर अपलोड की जाय, उसमें सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण (सम्पत्ति संख्या, लोकेशन, क्षेत्रफल एवं मूल्य) का उल्लेख अवश्य किया जाय।
- प्राधिकरण द्वारा जिन परियोजनाओं हेतु शासकीय अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किया गया हो या ऋण लेने की प्रक्रिया गतिमान है, इस सम्बन्ध में पूर्व में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अधिशासी अभियन्ता जोन–1 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के सम्बन्ध में बैठक का कार्यवृत्त जारी किया जा चुका है। उपाध्यक्ष को उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर शासन को संदर्भित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- सीजी सिटी परियोजना के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा जो रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, उसे उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से आयुक्त/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित की जाय। सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता का आंकलन कर लिया जाय एवं प्रयास किया जाय कि सुरक्षाकर्मियों की तैनाती उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से ही की जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि पीक आवर्स के दृष्टिगत प्रातः एवं देर रात को अधिक संख्या में गार्डो की तैनाती की जाय।
- हरदोई रोड स्थित बालागंज कामर्शियल काम्पलेक्स में अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देशों के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता श्री अरूण कुमार सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने हेतु कार्यवाही की जाय एवं वर्तमान अधिशासी अभियन्ता 03 माह के अन्दर अवैध अतिक्रमण को हटवाकर बोर्ड को सूचित करें।
- यथावश्यकता प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को वापस किये जाने हेतु शासन को अनुस्मारक प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>विषय संख्या : 2ख</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं विषय संख्या–14, 15, 18 व 19 पर बिन्दुवार निम्नांकित निर्देश दिये गयेः–

- गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 तथा सेक्टर–6 के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।
- खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद, जागीर तहसील–सरोजनी नगर, लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने पर बोर्ड द्वारा पूर्व में अनुमोदन दिया गया था। बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।
- मे0 अंसल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी के अन्तर्गत सेक्टर–सी पाकेट–7 के ग्रुप हाउसिंग संख्या–3, क्षेत्रफल 17924.45 वर्गमी0 (4.42 एकड़) प्रस्तावित

49 रो–हाउसिंग भवनों का मानचित्र दिनांक 19.01.2017 को निर्गत किया गया था। प्रतिबन्धों एवं शर्तों का अनुपालन किया गया है, की जांच करा ली जाय। यदि अनुपालन न किया गया हो, तो मानचित्र स्थगित रखा जाय।

- प्रकरण संख्या–2 एवं 4 के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक श्री जे0एन0 रेड्डी द्वारा तकनीकी समिति के सुझावों का अनुपालन न करने के बावजूद भी मानचित्र निर्गत कर दिये हो, तो उनके विरूद्ध आरोप–पत्र गठित कर शासन को प्रेषित किया जाय।
- विकासकर्ता द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–2 पर प्रस्तुत इण्टरनेशनल ट्रेड पार्क–2 (आई0टी0पी0–2) के व्यवसायिक विन्यास मानचित्र (क्षेत्रफल–26.96 एकड़) परमिट संख्या–41150 दिनांक 23.02.2017 को निर्गत किया गया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रतिबन्धों एवं शर्तों का अनुपालन किया गया है, की जांच करा ली जाय। यदि अनुपालन न किया गया हो, तो मानचित्र स्थगित रखा जाय।
- इसके अतिरिक्त हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत स्वीकृत की गई जनसुविधाओं की विस्तृत जांच के साथ प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन निर्गत किये गये मानचित्रों का परीक्षण किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिनमें निम्नांकित सदस्य होंगे:–

श्री विश्व भूषण मिश्रा, नजूल अधिकारी	सदस्य
श्री इन्दु शेखर सिंह, मुख्य अभियन्ता,	सदस्य
श्री नितिन मित्तल, मुख्य नगर नियोजक	सदस्य संयोजक
श्री डी0सी0 गुप्ता, सीनियर प्लानर	सदस्य
श्री अमित कुमार, डिप्टी कलेक्टर	सदस्य

उक्त समिति हाईटेक परियोजना के समस्त प्राविधानों के क्रम में जनसुविधायें, सड़के, जल निकासी एवं पार्क इत्यादि का स्थलीय परीक्षण कर स्पष्ट आख्या बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

- नियोजित कालोनियों के आवासीय भूखण्डों पर प्रस्तावित अनावासीय (बैंक, नर्सिंग होम, होटल, स्कूल आदि) क्रियाओं के भवन मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर पूर्व में बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>विषय संख्या : 3</u>

प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में दर्शित ट्यूबवेल, क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 को नया आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाने एवं सन्निकट स्थित पार्क में ट्यूबवेल हेतु चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त श्री इत्तिफाक हुसैन व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–177/एलए/14 व अवमाननावाद संख्या–1852/सी/16 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में दर्शित ट्यूबवेल को सन्निकट स्थित पार्क में स्थापित किये जाने एवं ट्यूबवेल हेतु चिन्हित भूमि पर भूखण्ड संख्या–1291ए क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 सृजित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में आवश्यक संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पार्क का क्षेत्रफल कम न हो।

<u>विषय संख्या : 4</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत संविदा वाहन चालकों को नियमित वेतनमान एवं उस पर समय–समय पर देय मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेड–पे, भवन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, प्राधिकरण भत्ता, वाहन भत्ता एवं एन0पी0ए0 भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्ताव वापस लिया गया।

<u>विषय संख्या : 5</u>

विकास प्राधिकरण में समूह ग एवं घ (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त विनियमितीकरण नियमावली 2016 से प्रभावित कार्मिकों के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>विषय संख्या : 6</u>

ल0वि0प्रा0 की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त एक पी0सी0एस0 स्तर के अधिकारी की सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के कार्य हेतु सेवानिवृत्त एक पी0सी0एस0 स्तर के अधिकारी को नियमानुसार संविदा पर रखे जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>विषय संख्या : 7</u>

अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम–मकदूमपुर, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा संख्या–242 रकबा–2–12–14–0 बीघा के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में पारित निर्णय, जो कि शासनादेश दिनांक 22.10.2002 में उल्लिखित प्राविधानों के विपरीत होने के कारण रिट याचिका सं0–67/एल0ए0/10 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ कनेक्ट रिट याचिका संख्या–4297/एम0बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 के आलोक में निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम–मकदूमपुर, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा संख्या–242 रकबा–2–12–14–0 बीघा के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में पारित निर्णय के बारे में रिट याचिका सं0–67/एल0ए0/10 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ कनेक्ट रिट याचिका संख्या–4297/एम0बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 में की गई टिप्पणी के आलोक में निरस्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>विषय संख्या : 8</u>

सहायक महाप्रबन्धक परिसर एवं सम्पदा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा सेक्टर–आई, जानकीपुरम में 13320.50 वर्गमी0 समूह आवास निर्माण सम्बन्धित मानचित्र के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि पार्क क्षेत्रफल कम किये जाने एवं भूखण्डीय विकास हेतु आवंटित भूखण्डों पर समूह आवास प्रस्तावित किये जाने के दृष्टिगत उक्त की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। अतः प्रस्ताव निरस्त किया गया।

<u>विषय संख्या : 9</u>

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011/2016) में प्रस्तावित संशोधन पर निर्णय लिये जाने से पूर्व

इसके परीक्षण हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नांकित सदस्यों की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0	सदस्य
मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0	सदस्य
श्री नितिन मित्तल, मुख्य नगर नियोजक	सदस्य संयोजक
श्री डी0सी0 गुप्ता, सीनियर प्लानर उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य

इस सम्बन्ध में अन्य विकास प्राधिकरण से भी जानकारी प्राप्त कर ली जाय तथा समिति उक्त का परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव पुनः विचारार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

विषय संख्या : 10

अमृत योजना एवं Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के क्रियान्वयन हेतु प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन से सम्बन्धित शासनादेश के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 तथा Ease of Doing Business से सम्बन्धित शासनादेश को यथावत अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में सम्मिलित समझे जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 11

भारत सरकार की "अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन" (अमृत) योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने हेतु धनराशि के भुगतान तथा जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के लिए बेस मैप तैयार करने हेतु एजेन्सी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की "अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन" (अमृत) योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने हेतु लखनऊ महायोजना–2031 को परिवर्तित करने तथा पूर्व में बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में तदानुसार जोनल प्लान तैयार करने हेतु उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एजेन्सी घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य हेतु उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से समय–सारणी प्राप्त कर ली जाय।

विषय संख्या : 12

प्राधिकरण द्वारा विकसित कानपुर रोड योजना के सेक्टर–डी1 के तलपट मानचित्र की भूमि क्षेत्रफल लगभग 9276.00 वर्गमी0 पर सृजित एस0एस0 टाइप के भूखण्डों/भवनों के निर्माण के फलस्वरूप एक्जीक्युशन पार्ट ले–आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या : 13

शासन के पत्र संख्या–933/आठ–6–17–05 टी0पी0/2016 दिनांक 18 अगस्त, 2017 के क्रम में डा0 राजा सिंह, निवासी–जे–3/7, डालीबाग, लखनऊ के गोमती नगर विस्तार सेक्टर–1 स्थित भूखण्ड संख्या–सी–1/163 एवं इससे सटी अतिरिक्त भूमि 46.00 वर्गमी0 के बगल स्थित व्यवसायिक भूखण्ड को पक्षकार द्वारा कार्नर की भूमि बताकर सड़क की मांग की जा रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

गुणदोष के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : 14

प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या–टीसी/25–वी एवं टीसी/26–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

पूर्व में भी 02 भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत करने एवं वर्तमान में प्रस्तावित दोनों भूखण्ड का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास होने के दृष्टिगत भूखण्ड संख्या–टीसी/25–वी एवं टीसी/26–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का एकीकृत मानचित्र प्रभावी भवन उपविधि में प्राविधानित सेटबैक्स की शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 15

प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन पार्कों में प्रवेश शुल्क की राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

पार्कों में प्रवेश हेतु बढ़ी हुई टिकट दरों से बोर्ड को अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अन्य बिन्दु

- निर्देश दिये गये कि यदि किसी भी विभागाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के समक्ष भ्रमात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की जाती है और प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हाईटेक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत/निर्गत किये जाने वाले भवन मानचित्रों के

आधार पर होने वाले निर्माणों का सतत् निरीक्षण कर यह देखा जाय कि मौके पर निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं? उक्त श्रेणी के मानचित्रों में प्रतिबन्धों एवं शर्तों को पूर्ण करने की समय–सीमा भी अंकित होनी चाहिये तथा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रतिबन्धों एवं शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो निर्गत किया गया मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(एम0पी0 सिंह)
सचिव

(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(अनिल गर्ग) 08/1/18
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषयः– लखनऊ विकास प्राधिकरण की 162वीं बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1क लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.05.2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

अनुपालन : नोट किया गया।

विषय संख्या : 1ख लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को पूर्व में ही कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। दिनांक 24.05.17 को सम्पन्न बैठक में पुष्टि हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में अद्यतन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

अनुपालन : नोट किया गया।

विषय संख्या : 2क लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.05.2017 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गयेः–

- अनिस्तारित एवं रिक्त सम्पत्तियों (आवासीय एवं व्यवसायिक) के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जन–सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत जो भी सम्पत्ति वेबसाइट पर अपलोड की जाय, उसमें सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण (सम्पत्ति संख्या, लोकेशन, क्षेत्रफल एवं मूल्य) का उल्लेख अवश्य किया जाय।

अनुपालन : निर्देशानुसार अनिस्तारित एवं रिक्त सम्पत्तियों का विवरण (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

- प्राधिकरण द्वारा जिन परियोजनाओं हेतु शासकीय अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किया गया हो या ऋण लेने

की प्रक्रिया गतिमान है, इस सम्बन्ध में पूर्व में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अधिशासी अभियन्ता जोन–1 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के सम्बन्ध में बैठक का कार्यवृत्त जारी किया जा चुका है। उपाध्यक्ष को उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर शासन को संदर्भित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>अनुपालन</u>

निर्देशानुसार पत्र संख्या–345 / सचिव / एफसी / सीजी / जोन–1 दिनांक 17.03.2018 द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया।

- सीजी सिटी परियोजना के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा जो रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, उसे उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से आयुक्त / अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित की जाय। सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता का आंकलन कर लिया जाय एवं प्रयास किया जाय कि सुरक्षाकर्मियों की तैनाती उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से ही की जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि पीक आवर्स के दृष्टिगत प्रातः एवं देर रात को अधिक संख्या में गार्डो की तैनाती की जाय।

<u>अनुपालन</u>

निर्देशानुसार सीटी सिटी परियोजना की वायबिलिटी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सूचना संलग्न सहित पत्र संख्या–09 / मु0अ0 / 2018 दिनांक 04.04.2018 द्वारा आयुक्त / अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित की गई।

उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के सुरक्षा कर्मियों को प्राधिकरण भवन के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर तीन शिफ्टों में कुल 40 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। भविष्य में भूतपूर्व सैनिक लगाने हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क में 50 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। शीघ्र ही तदनुसार गार्डों की तैनाती हेतु कार्यवाही की जायेगी।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण में सुरक्षा कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु विगत माह अप्रैल, 2017 से सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आकलन के पश्चात् आवश्यक / महत्वपूर्ण स्थलों, कार्यालय परिसर, पार्कों, पार्किंग आदि पर सुरक्षा व्यय को कम करते हुए तैनाती की गई है। सम्बन्धित स्थलीय अधिशासी अभियन्ता / अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार रात्रि–दिन शिफ्ट की तैनाती परिवर्तित की जाती है।

- हरदोई रोड स्थित बालागंज कामर्शियल काम्पलेक्स में अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देशों के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः सम्बन्धित

अधिशासी अभियन्ता श्री अरूण कुमार सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने हेतु कार्यवाही की जाय एवं वर्तमान अधिशासी अभियन्ता 03 माह के अन्दर अवैध अतिक्रमण को हटवाकर बोर्ड को सूचित करें।

<u>अनुपालन</u>

दिनांक 28.02.2018 को अधिशासी अभियन्ता जोन–7 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.2017 को लिये गये निर्णय के अनुपालंन में बालागंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स की दुकानों से अनधिकृत कब्जा हटाये जाने हेतु दिनांक 23.08.2017 निर्धारित की गई थी, उक्त दिनांक को दुकानों से अनधिकृत कब्जा हटा दिया गया था। बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2017 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में बालागंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स प्रांगण से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु दिनांक 27.02.2018 निर्धारित की गई थी, उक्त दिनांक को प्राधिकरण स्टाफ व प्राधिकरण पुलिस बल तथा थाना–ठाकुरगंज पुलिस बल के सहयोग से बालागंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स प्रांगण से अतिक्रमण हटा दिया गया है।

श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता जोन–6 सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता जोन–3 द्वारा दिनांक 14.03.2018 को उक्त अवैध निर्माण के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि उक्त दोनों काम्पलेक्स में हुए अवैध कब्जों को माह–अगस्त, 2017 में ही खाली करा दिया गया था (श्री अरूण कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है)।

- यथावश्यकता प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को वापस किये जाने हेतु शासन को अनुस्मारक प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>अनुपालन</u>

नगर विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 01 अधिशासी अभियन्ता एवं 06 अवर अभियन्ताओं को नगर विकास विभाग के आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरणोंपरान्त दिनांक 07.03.2018 एवं 23.03.2018 को लखनऊ विकास प्राधिकरण से कार्यमुक्त कर दिया गया हैं।

<u>विषय संख्या : 2ख</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं विषय संख्या–14, 15, 18 व 19 पर बिन्दुवार निम्नांकित निर्देश दिये गयेः–

- गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 तथा सेक्टर–6 के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन विषयक प्रस्ताव

पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>अनुपालन :</u>

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पुनर्परीक्षण की कार्यवाही की गई। डी0ए0पी0 स्कूल के विवाद के कारण किये गये संशोधन के क्रम में अवगत कराना है कि स्थल पर कब्जा प्राप्त कर पूर्व अनुमोदित ले–आउट के अनुसार विकास कार्य किया जा रहा है।

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–6 के मेला ग्राउण्ड के कारण तलपट मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन करते हुए अभियंत्रण खण्ड से प्राप्त स्थलीय रिपोर्ट के आधार पर संशोधित अंश तलपट मानिचत्र पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। तद्नुसार स्थल पर विकास कार्य किया जा चुका है तथा विक्रय विलेख सम्पादित किये जा रहे है।

- खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद, जागीर तहसील–सरोजनी नगर, लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने पर बोर्ड द्वारा पूर्व में अनुमोदन दिया गया था। बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>अनुपालन</u>

अवगत कराना है कि खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद, जागीर तहसील–सरोजनी नगर, लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) में नागरिक उड्डयन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर परिवर्तन शुल्क लिये जाने की शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तुत भू–उपयोग विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–3 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या–1678/सचिव/सीटीपी/2017 दिनांक 03.01.2017 द्वारा शासन को संदर्भित किया गया है, जो शासन में विचाराधीन है।

- मे0 अंसल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी के अन्तर्गत सेक्टर–सी पाकेट–7 के ग्रुप हाउसिंग संख्या–3, क्षेत्रफल 17924.45 वर्गमी0 (4.42 एकड़) प्रस्तावित 49 रो–हाउसिंग भवनों का मानचित्र दिनांक 19.01.2017 को निर्गत किया गया था। प्रतिबन्धों एवं शर्तों का अनुपालन किया गया है, की जांच करा ली जाय। यदि अनुपालन न किया गया हो, तो मानचित्र स्थगित रखा जाय।

<u>अनुपालन</u>

प्रश्नगत मानचित्र पत्रावली का परीक्षण किया गया। विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तो एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने एवं वांछित शुल्क जमा करवाने के पश्चात् ही प्रश्नगत मानचित्र परमिट संख्या–40994 दिनांक 19.01.2017 द्वारा निर्गत किया गया।

- प्रकरण संख्या–2 एवं 4 के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक श्री जे0एन0 रेड्डी द्वारा तकनीकी समिति के सुझावों का अनुपालन न करने के बावजूद भी मानचित्र निर्गत कर दिये हो, तो उनके विरूद्ध आरोप–पत्र गठित कर शासन को प्रेषित किया जाय।

<u>अनुपालन</u>

प्रश्नगत मानचित्र पत्रावली का परीक्षण किया गया। विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तो एवं प्रतिबन्धों मे से प्रश्नगत विन्यास मानचित्र के अन्तर्गत आने वाली शमशान की भूमि का स्थलीय सत्यापन तहसील से कराते हुए तहसीलदार की अनापत्ति, सजरा मानचित्र पर चिन्हिंत नही करने एवं भू–स्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत नही किये जाने के कारण प्रश्नगत मानचित्र निर्गत नही किया गया है, जिसके दृष्टिगत तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक द्वारा बोर्ड के निर्णय की अवहेलना नही की गयी है।

सुशान्त गोल्फ सिटी पाकेट–4 से सम्बन्धित मानचित्र पत्रावली का परीक्षण किया गया। विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्त एवं प्रतिबन्ध के अनुसार पूर्व स्वीकृत विन्यास मानचित्र में सामुदायिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं हेतु आरक्षित 12167.66 वर्गमी0 भूमि के अन्तर्गत अनिवार्य कियाओं की प्रस्तावना मदर सिटी भाग के विन्यास मानचित्र में करते हुए संशोधित विन्यास मानचित्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नही किये जाने के कारण प्रश्नगत मानचित्र निर्गत नही किया गया है, जिसके दृष्टिगत तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक द्वारा बोर्ड के निर्णय की अवहेलना नही की गयी है।

- विकासकर्ता द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–2 पर प्रस्तुत इण्टरनेशनल ट्रेड पार्क–2 (आई0टी0पी0–2) के व्यवसायिक विन्यास मानचित्र (क्षेत्रफल–26.96 एकड़) परमिट संख्या– 41150 दिनांक 23.02.2017 को निर्गत किया गया था। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रतिबन्धों एवं शर्तों का अनुपालन किया गया है, की जांच करा ली जाय। यदि अनुपालन न किया गया हो, तो मानचित्र स्थगित रखा जाय।

<u>अनुपालन</u>

प्रश्नगत मानचित्र पत्रावली का परीक्षण किया गया। विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तो एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने एवं वांछित शुल्क जमा करवाने के पश्चात् ही प्रश्नगत मानचित्र परमिट संख्या–41150 दिनांक 23.02.2017 द्वारा निर्गत किया गया।

- इसके अतिरिक्त हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत स्वीकृत की गई जनसुविधाओं की विस्तृत जांच के साथ प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन निर्गत किये गये मानचित्रों का परीक्षण किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिनमें निम्नांकित सदस्य होंगे:–

श्री विश्व भूषण मिश्रा, नजूल अधिकारी	सदस्य
श्री इन्दु शेखर सिंह, मुख्य अभियन्ता,	सदस्य
श्री नितिन मित्तल, मुख्य नगर नियोजक	सदस्य संयोजक
श्री डी0सी0 गुप्ता, सीनियर प्लानर	सदस्य
श्री अमित कुमार, डिप्टी कलेक्टर	सदस्य

उक्त समिति हाईटेक परियोजना के समस्त प्राविधानों के क्रम में जनसुविधायें, सड़के, जल निकासी एवं पार्क इत्यादि का स्थलीय परीक्षण कर स्पष्ट आख्या बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

<u>अनुपालन</u>

हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत स्वीकृत की गई जनसुविधाओं की विस्तृत जांच के साथ प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन निर्गत किये गये मानचित्र के परीक्षण हेतु बोर्ड द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 08.03.2018 के क्रम में विकासकर्ता से विभिन्न जनसुविधाओं को मानचित्र पर अंकित बुकलेट फार्म में प्राप्त कर लिया गया है, जिसका स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है।

- नियोजित कालोनियों के आवासीय भूखण्डों पर प्रस्तावित अनावासीय (बैंक, नर्सिंग होम, होटल, स्कूल आदि) क्रियाओं के भवन मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर पूर्व में बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>अनुपालन</u>

पुनः परीक्षण किये जाने की प्रक्रिया में है। उल्लेखनीय है कि आवासीय भूखण्डों में अनुसांगिक अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 में विषय संख्या –15 के अन्तर्गत प्रेषित प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सहमति पर अनुमोदनार्थ प्राधिकरण के पत्र संख्या–62/उपा0/सीटीपी/2017 दिनांक 12.06.2017 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, जो शासन में विचाराधीन है।

विषय संख्या : 3

प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में दर्शित ट्यूबवेल, क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 को नया आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाने एवं सन्निकट स्थित पार्क में ट्यूबवेल हेतु चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त श्री इत्तिफाक हुसैन व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–177/एलए/14 व अवमाननावाद संख्या–1852/सी/16 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में दर्शित ट्यूबवेल को सन्निकट स्थित पार्क में स्थापित किये जाने एवं ट्यूबवेल हेतु चिन्हित भूमि पर भूखण्ड संख्या–1291ए क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 सृजित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में आवश्यक संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पार्क का क्षेत्रफल कम न हो।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में नया आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 को गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 के मूल तलपट मानचित्र में अंकित किया गया।

विषय संख्या : 4

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत संविदा वाहन चालकों को नियमित वेतनमान एवं उस पर समय–समय पर देय मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेड–पे, भवन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, प्राधिकरण भत्ता, वाहन भत्ता एवं एन0पी0ए0 भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव वापस लिया गया।

अनुपालन :

अनुपालन वांछित नहीं।

विषय संख्या : 5

विकास प्राधिकरण में समूह ग एवं घ (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त विनियमितीकरण नियमावली 2016 से प्रभावित कार्मिकों के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन :

निर्देशानुसार तथ्यात्मक आख्या सहित प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>विषय संख्या : 6</u>	ल0वि0प्रा0 की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त एक पी0सी0एस0 स्तर के अधिकारी की सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के कार्य हेतु सेवानिवृत्त एक पी0सी0एस0 स्तर के अधिकारी को नियमानुसार संविदा पर रखे जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
<u>अनुपालन :</u>	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 24.11.2017 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 01.12.2017 से श्री वंश स्वरूप गुप्ता, सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर को तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में यह कार्य कर रहें है।
<u>विषय संख्या : 7</u>	अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम–मकदूमपुर, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा संख्या–242 रकबा–2–12–14–0 बीघा के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में पारित निर्णय, जो कि शासनादेश दिनांक 22.10.2002 में उल्लिखित प्राविधानों के विपरीत होने के कारण रिट याचिका सं0–67/एल0ए0/10 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ कनेक्ट रिट याचिका संख्या–4297/एम0बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 के आलोक में निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम–मकदूमपुर, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा संख्या–242 रकबा–2–12–14–0 बीघा के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में पारित निर्णय के बारे में रिट याचिका सं0–67/एल0ए0/10 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ कनेक्ट रिट याचिका संख्या–4297/एम0बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 में की गई टिप्पणी के आलोक में निरस्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>अनुपालन :</u>	नोट किया गया। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

<u>विषय संख्या : 8</u>	सहायक महाप्रबन्धक परिसर एवं सम्पदा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा सेक्टर–आई, जानकीपुरम में 13320.50 वर्गमी0 समूह आवास निर्माण सम्बन्धित मानचित्र के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि पार्क क्षेत्रफल कम किये जाने एवं भूखण्डीय विकास हेतु आवंटित भूखण्डों पर समूह आवास प्रस्तावित किये जाने के दृष्टिगत उक्त की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। अतः प्रस्ताव निरस्त किया गया।
<u>अनुपालन :</u>	निरस्तीकरण की सूचना पक्ष को प्रेषित कर दी गई।
<u>विषय संख्या : 9</u>	विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन के अंगीकरण के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011/2016) में प्रस्तावित संशोधन पर निर्णय लिये जाने से पूर्व इसके परीक्षण हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नांकित सदस्यों की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0	सदस्य
मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0	सदस्य
श्री नितिन मित्तल, मुख्य नगर नियोजक	सदस्य संयोजक
श्री डी0सी0 गुप्ता, सीनियर प्लानर उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य

इस सम्बन्ध में अन्य विकास प्राधिकरण से भी जानकारी प्राप्त कर ली जाय तथा समिति उक्त का परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव पुनः विचारार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

<u>अनुपालन :</u>	नये/अविकसित क्षेत्रों में ग्रुप–हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन के अंगीकरण से सम्बन्धित बिन्दु पर गठित समिति की आख्या/संस्तुति प्राप्त है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की गई है। समिति की संस्तुति एवं दोनों प्राधिकरणों से प्राप्त जानकारी आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जायेंगी।

विषय संख्या : 10

अमृत योजना एवं Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के क्रियान्वयन हेतु प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन से सम्बन्धित शासनादेश के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 तथा Ease of Doing Business से सम्बन्धित शासनादेश को यथावत अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में सम्मिलित समझे जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पत्र संख्या–133/मु0न0नि0/2018 दिनांक 06.03.2018 द्वारा अंगीकृत किया गया।

विषय संख्या : 11

भारत सरकार की "अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन" (अमृत) योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने हेतु धनराशि के भुगतान तथा जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के लिए बेस मैप तैयार करने हेतु एजेन्सी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की "अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन" (अमृत) योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने हेतु लखनऊ महायोजना–2031 को परिवर्तित करने तथा पूर्व में बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में तदानुसार जोनल प्लान तैयार करने हेतु उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एजेन्सी घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य हेतु उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से समय–सारणी प्राप्त कर ली जाय।

अनुपालन :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या–39/मु0न0नि0/2018 दिनांक 22.01.2018 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक–3229/व0नि0(1)/अमृतजी.आई.एस. बेस्ड मा0 प्लान/2017–18 दिनांक 13.03.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि NRSC, हैदराबाद द्वारा दिनांक 08.02.2018 को विकास क्षेत्र के अन्तर्गत महायोजना हेतु पूर्व अनुमोदित 1542 वर्ग किमी0 के स्थान पर एरिया ऑफ इन्ट्रस्ट (AOI) 1482.00 वर्ग किमी0

निर्धारित किया गया है। अतः अब 1542.00 वर्ग किमी0 के स्थान पर 1482.00 वर्ग किमी0 के सापेक्ष ही भुगतान किया जाना होगा।

विषय संख्या : 12

प्राधिकरण द्वारा विकसित कानपुर रोड योजना के सेक्टर–डी1 के तलपट मानचित्र की भूमि क्षेत्रफल लगभग 9276.00 वर्गमी0 पर सृजित एस0एस0 टाइप के भूखण्डों/भवनों के निर्माण के फलस्वरूप एक्जीक्युशन पार्ट ले–आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव वापस लिया गया।

अनुपालन : अनुपालन वांछित नहीं।

विषय संख्या : 13

शासन के पत्र संख्या–933/आठ–6–17–05 टी0पी0/2016 दिनांक 18 अगस्त, 2017 के क्रम में डा0 राजा सिंह, निवासी–जे–3/7, डालीबाग, लखनऊ के गोमती नगर विस्तार सेक्टर–1 स्थित भूखण्ड संख्या–सी–1/163 एवं इससे सटी अतिरिक्त भूमि 46.00 वर्गमी0 के बगल स्थित व्यवसायिक भूखण्ड को पक्षकार द्वारा कार्नर की भूमि बताकर सड़क की मांग की जा रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : गुणदोष के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

अनुपालन : उपर्युक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डा0 राजा सिंह द्वारा अतिरिक्त भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रत्यावेदन बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

विषय संख्या : 14

प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या–टीसी/25–वी एवं टीसी/26–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : पूर्व में भी 02 भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत करने एवं वर्तमान में प्रस्तावित दोनों भूखण्ड का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास होने के दृष्टिगत भूखण्ड संख्या–टीसी/25–वी एवं टीसी/26–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का एकीकृत मानचित्र प्रभावी भवन उपविधि में प्राविधानित सेटबैक्स की शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

<u>अनुपालन :</u> बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रश्नगत दोनों भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र पर सशर्त स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा मानचित्र स्वीकृत में वांछित शुल्कों की धनराशि जमा किये जाने हेतु आवेदक को दिनांक 20.01.2018 को मांग–पत्र जारी किया जा चुका है। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

<u>विषय संख्या : 15</u> प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन पार्कों में प्रवेश शुल्क की राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> पार्कों में प्रवेश हेतु बढ़ी हुई टिकट दरों से बोर्ड को अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अनुरक्षित किये जा रहे नजूल एवं अन्य पार्कों में प्रवेश शुल्क की दरों में निर्णयानुसार संशोधन कर दिया गया है। वर्तमान में संशोधित दरों के अनुसार ही प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार कार्यवाही पूर्ण की गई।

<u>अन्य बिन्दु</u>

- निर्देश दिये गये कि यदि किसी भी विभागाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के समक्ष भ्रमात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की जाती है और प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

<u>अनुपालन :</u> नोट किया गया।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हाईटेक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत/निर्गत किये जाने वाले भवन मानचित्रों के आधार पर होने वाले निर्माणों का सतत् निरीक्षण कर यह देखा जाय कि मौके पर निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं? उक्त श्रेणी के मानचित्रों में प्रतिबन्धों एवं शर्तों को पूर्ण करने की समय–सीमा भी अंकित होनी चाहिये तथा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रतिबन्धों एवं शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो निर्गत किया गया मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

<u>अनुपालन</u> दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है। अनुपालन–2ख के अन्तर्गत उल्लिखित अनुपालन के अनुसार विस्तृत जांच एवं निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 162वीं बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2017, (विषय सं0–2क, बिन्दु सं0–4) के अन्तर्गत हरदोई रोड स्थित बालागंज कामर्शियल काम्पलेक्स में अवैध अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी अनुपालन आख्या

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 162वीं बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 में हरदोई रोड स्थित बालागंज कामर्शियल काम्पलेक्स में अवैध अतिक्रमण को 03 माह के अन्दर हटाकर बोर्ड को सूचित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया था। उक्त के क्रम में अनुपालन आख्या निम्नवत् है :–

बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.2017 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में बालागंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स की दुकानों से अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने हेतु दिनांक 23.08.2017 निर्धारित की गई थी, उक्त दिनांक को दुकानों से अनाधिकृत कब्जा हटा दिया गया था। बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2017 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में बालागंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स प्रांगण से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु दिनांक 27.02.2018 निर्धारित की गयी थी, उक्त दिनांक को प्राधिकरण स्टाफ व प्राधिकरण पुलिस बल तथा थाना–ठाकुरगंज पुलिस बल के सहयोग से बालागंज स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स प्रांगण से अतिक्रमण हटा दिया गया, जिसके फोटोग्राफ संलग्न हैं।

28/02/2018
अवर अभियन्ता

AE
28/2/18
सहायक अभियन्ता

2704/सा0।18
16/3/18

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता, जोन–3
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्र संख्या : 210 / अधि0अभि0 जोन–3 / 17–18 दिनांकः 14/03/2018

सचिव महोदय,

कृपया संलग्न संयुक्त सचिव–अधिष्ठान के पत्र संख्या–2258 / सा0प्र0 / 2017–18, दिनांक 14.03.2018, जिसकी प्रति आपको भी सन्दर्भित है, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि मेरा स्थानान्तरण 25.10.2017 को अन्य क्षेत्र में हो गया था। इसके पूर्व की बोर्ड बैठक के निर्देशों का संज्ञान आने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बालागंज चौराहे पर बने राम प्रसाद बिस्मिल काम्प्लेक्स तथा चौक स्थित कंचन मार्केट में हुए अनाधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही सम्पत्ति विभाग के स्टाफ के साथ माह अगस्त–2017 में ही कर दी गयी थी। मेरे द्वारा उस समय प्राधिकरण बोर्ड में दिये गये निर्देशों के अनुपलान हेतु अधीनस्थ अभियन्ताओं को पत्रांक–330 / अ0अ0–6 / प्र0 / 2017–18, दिनांक 09.08.2017 द्वारा निर्देश दे दिये गये थें, जिसके अनुपालन में इन कब्जों को हटाने हेतु जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य को भेजे जाने वाले पत्रों पर सचिव महोदय की तरफ से दिनांक 18.08.2017 एवं 19.08.2017 को पत्र भी प्रेषित किया गया था।

उक्त कार्य पर तैनात सहायक अभियन्ता– श्री राकेश मोहन एवं श्री आर0एस0 सिंह, अवर अभियन्ता–श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव, श्री राजेश राय एवं श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा स्थल पर जाकर सम्पत्ति विभाग के अवर वर्ग सहायक को साथ में लेकर अवैध कब्जों को खाली कराया गया था, जिसकी आख्या उक्त अभियन्ताओं द्वारा पत्रावली पर दी गयी थी।

दिनांक 30.10.2017 को हुई बौर्ड बैठक के पूर्व बैठक की तैयारी के समय मेरी तैनाती इस क्षेत्र में नहीं थी, इस कारण से मेरे द्वारा इस प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया गया एवं न ही इस क्षेत्र में तैनात अभियन्ताओं द्वारा मुझसे अथवा उनके कार्यालय में तैनात लिपिकीय स्टाफ से पूछा गया। बोर्ड बैठक के दौरान मैं अर्जित अवकाश पर था, दिनांक 04.01.2018 को कार्यालय आने पर उक्त प्रकरण संज्ञान में आने पर मेरे द्वारा जोन–6 एवं 7 के कार्यालय में पत्रावली ढुंढवाने से उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अवगत कराना है कि उक्त दोनों काम्प्लेक्स में हुए अवैध कब्जों को माह अगस्त–2017 में ही खाली करा दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में हुए प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन तत्कालीन समय में करा दिया गया था, जिसकी पत्रावली उचित माध्यम से आपके कार्यालय में प्राप्त करायी जा चुकी है।

अतः उपरोक्त स्थिति में प्राधिकरण बोर्ड की 162वीं बैठक दिनांक 30.12.2017 में अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि से सम्बन्धित निर्णय पर विचार करते हुए निक्षेपित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–

1. दिनांक 08.01.2018 को सचिव महोदय को प्रेषित अनुपालन आख्या की छायाप्रति।
2. दिनांक 28.02.2018 को अधिशासी अभियन्ता, जोन–7 द्वारा सचिव महोदय को भेजे गये अनुपालन आख्या की छायाप्रति।

Board at ... हेतु।
16/3/18

(अरूण कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता, जोन–3

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव–अधिष्ठान को पत्र संख्या–2258 / सा0प्र0 / 2017–18, दिनांक 14.03.2018 के कम में सूचनार्थ एवं निक्षेपन हेतु।

(अरूण कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता, जोन–3

अधीक्षण अभियन्ता,

कृपया दिनांक 30.12.2017 को हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक में बालागंज चौराहे पर बने राम प्रसाद बिस्मिल काम्प्लेक्स तथा चौक स्थित कंचन मार्केट में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा दुकानों पर किये गये अनाधिकृत कब्जों एवं अतिक्रमण को न हटाये जाने पर नाराजगी प्रकट की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्र से मेरा स्थानान्तरण 25.10.2017 को अन्य क्षेत्र में हो गया था। इसके पूर्व की बोर्ड की बैठक के निर्देशों का संज्ञान आने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा इन दोनों कामर्शियल काम्प्लेक्स में हुए अनाधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही सम्पत्ति विभाग के स्टाफ के साथ माह अगस्त–2017 में ही कर दी गयी थी। मेरे द्वारा उस समय प्राधिकरण बोर्ड में दिये गये निर्देशों के अनुपलान हेतु अधीनस्थ अभियनताओं को पत्रांक–330 / अ0अ0–6 / प्र0 / 2017–18, दिनांक 09.08.2017 द्वारा निर्देश दे दिये गये थे, जिसके अनुपालन में इन कब्जों को हटाने हेतु जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य को भेजे जाने वाले पत्रों पर सचिव महोदय की तरफ से हस्ताक्षर कराये जाने हेतु दिनांक 18.08.2017 एवं 19.08.2017 को पत्रावली प्रेषित की गयी थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु डिस्पैच रजिस्टर की फोटोप्रति दायीं ओर संलग्न है।

उक्त कार्य पर तैनात सहायक अभियन्ता– श्री राकेश मोहन एवं श्री आर0एस0 सिंह, अवर अभियन्ता–श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव, श्री राजेश राय एवं श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा स्थल पर जाकर सम्पत्ति विभाग के अवर वर्ग सहायक को साथ में लेकर अवैध कब्जों को खाली कराया गया था, जिसकी आख्या उक्त अभियन्ताओं द्वारा इसी पत्रावली पर दे दी गयी है।

दिनांक 30.10.2017 को हुई बौर्ड बैठक के पूर्व बैठक की तैयारी के समय मेरी तैनाती इस क्षेत्र में नहीं थी, इस कारण से मेरे द्वारा इस प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया गया एवं न ही इस क्षेत्र में तैनात अभियन्ताओं द्वारा मुझसे अथवा उनके कार्यालय में तैनात लिपिकीय स्टाफ से पूछा गया। बोर्ड बैठक के दौरान मैं अर्जित अवकाश पर था, दिनांक 04.01.2018 को कार्यालय आने पर उक्त प्रकरण संज्ञान में आया। मेरे द्वारा जोन–6 एवं 7 के कार्यालय में पत्रावली ढुंढवाने से उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अवगत कराना है कि उक्त दोनों काम्प्लेक्स में हुए अवैध कब्जों को माह अगस्त–2017 में ही खाली करा दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में हुए प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन तत्कालीन समय में करा दिया गया था। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आख्या सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु पत्रावली अग्रसारित करने का कष्ट करें।

(आनन्द कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
EE 3

कृपया EE, Zone-3 के उक्त कथन से पूर्णतः सहमत। इससे पहले इनके द्वारा जोन–6 का कार्य देखा जा रहा था, जो कि [illegible] ठीक है तथा तत्कालीन इनके द्वारा अपना कार्य [illegible], निष्ठा एवं कुशलता से सम्पादित किया गया था।

06/01/17
अधी० अभि०
ल० वि० प्रा०

CE / सचिव

(इन्दु शेखर सिंह)
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

पत्रांक : 10/उपा0का0/18–19 दिनांक: 05/03/2018

–: कार्यालय आदेश :–

लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से डॉ0 राजा सिंह, निवासी जे–3/7, डालीबाग, लखनऊ के पक्ष में आवंटित भूखंड संख्या सी–1/163 गोमती नगर विस्तार योजना के समीप अतिरिक्त भूमि के आवंटन की मांग एवं उसके बाद प्रश्नगत अतिरिक्त भूमि पर सड़क बनाने की मांग के संबंध में समय–समय पर विभिन्न फोरम पर श्री राजा सिंह द्वारा शिकायतें की जाती रही हैं। प्रश्नगत भूखंड संख्या सी–1/163 गोमती नगर विस्तार योजना के संबंध में डॉ0 राजा सिंह द्वारा राज्य सूचना आयोग में भी कई याचिका आयोजित की गई हैं। उनकी ओर से प्रश्नगत भूखंड के मूल ले–आउट को बनाने वाले नगर नियोजक एवं अधिकारियों के विरुद्व शासन को शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है। शासन के पत्र संख्या 933/08–06–17–05/टी.पी./2016, दिनांक 18 अगस्त 2017 आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग 6 के माध्यम से उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह निर्देश दिया गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की होने वाली बोर्ड बैठक में इस प्रकरण का निस्तारण कराया जाए और कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए। शासन के उक्त निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से 162 वी बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.17 में विषय संख्या 13 पर श्री राजा सिंह के प्रकरण को प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है–

प्रस्ताव

शासन के पत्र संख्या 933/08–06–17–05/टी.पी./2016, दिनांक 18 अगस्त 2017 आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग 6 के क्रम में डॉ0 राजा सिंह निवासी जे–3/7, डालीबाग, लखनऊ के गोमती नगर योजना सेक्टर 1 स्थित भूखंड संख्या सी–1/163 एवं इससे सटी अतिरिक्त भूमि (46 वर्ग मीटर) के बगल स्थित व्यावसायिक भूखंड को पक्षकार द्वारा कॉर्नर की भूमि बताकर सड़क बनाने की मांग की जा रही है, के निस्तारण के संबंध में।

निर्णय

बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया गुण–दोष के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया जाता है।

प्राधिकरण बोर्ड के द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 30.12.17 के अनुपालन में प्रकरण के निस्तारण हेतु सुनवाई की तिथि 03.02.18 नियत की गई, जिसमें आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया। पक्ष द्वारा उक्त तिथि पर आने में असमर्थता व्यक्त करते हुए किसी अन्य तिथि को सुनवाई की मांग की गई, जिसके क्रम में पुनः दिनांक 28.02.18 को सुनवाई का अवसर दिया गया और आवेदक श्री राजा सिंह को संसूचित भी किया कर दिया गया। नियत सुनवाई की तिथि 28.02.18 को आवेदक श्री राजा सिंह अनुपस्थित रहे। पूर्व में राजा सिंह ने अपने विभिन्न पत्रों में जो तथ्य वर्णित किये है उन्हे ही उनका पक्ष मानकर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में आवेदक को व्यक्तिगत रूप से लीज प्लान के साथ प्रकरण को समझाया गया।

डॉ0 राजा सिंह को दिनांक 28.02.2005 को लाटरी द्वारा भूखण्ड संख्या–सी–1/163

क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर आवंटित किया गया था तदोपरान्त रजिस्ट्री 2009 में की गई। रजिस्ट्री के उपरान्त स्थल पर 46 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई, अतिरिक्त भूमि ले–आउट/लीज प्लान इस प्रकार था–

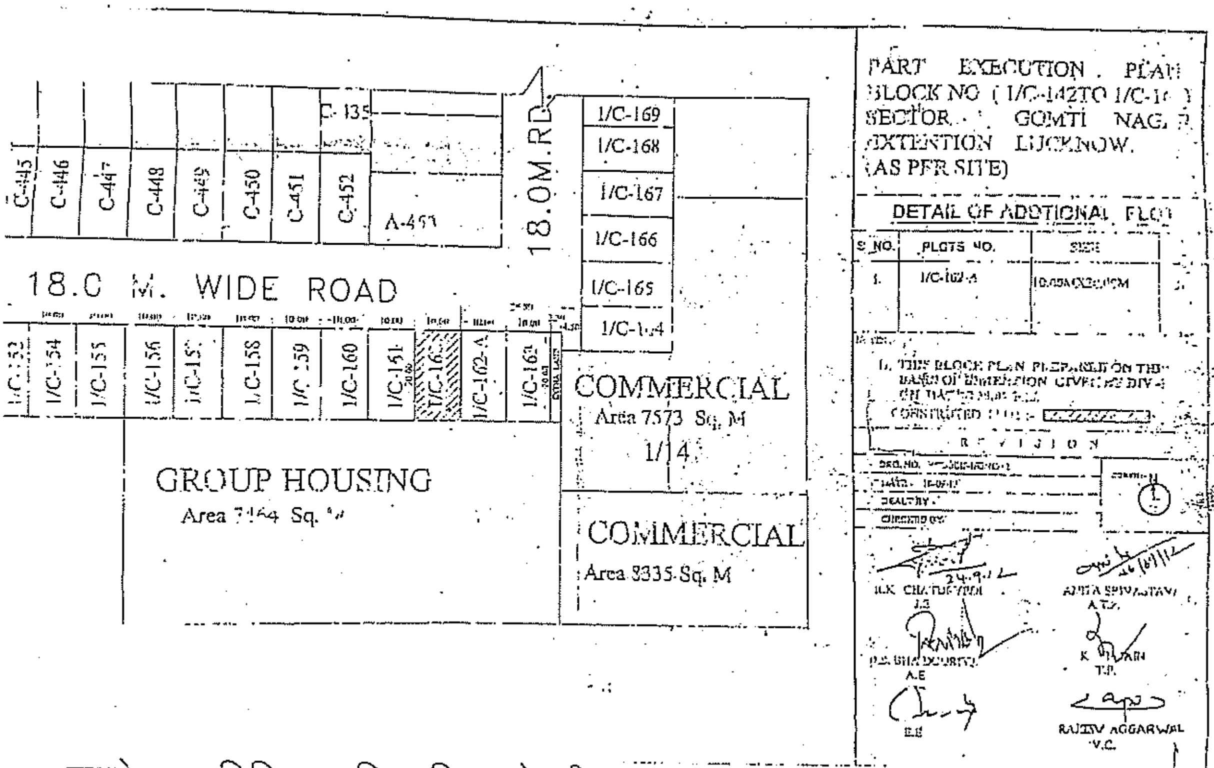

उपरोक्त अतिरिक्त भूमि सहित जो लीज प्लान पुनः अतिरिक्त भूमि की रजिस्ट्री के समय प्रयुक्त हुआ है उसकी चौहद्दी इस प्रकार है–

उत्तर दिशा–	व्यावसायिक भूखण्ड
दक्षिण दिशा–	भूखण्ड संख्या–सी–1/162ए
पूर्व दिशा–	18 मीटर चौड़ा रोड
पश्चिम दिशा–	ग्रुप हाउसिंग

आवेदक की सहमति पर उपरोक्त लीज प्लान व चौहद्दी के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्री की गयी। अर्थात् स्पष्ट है कि आवेदक राजा सिंह को उपरोक्त लीज प्लान/ले–आउट प्लान पर कोई आपत्ति नहीं थी।

आवेदक द्वारा बार–बार यह शिकायत की जाती है कि अतिरिक्त क्षेत्रफल के पूरब की ओर सड़क दर्शित है तथा उनसे कॉर्नर शुल्क लिया गया है। वास्तव में आवेदक से भूखंड की रजिस्ट्री के समय उसकी लागत मूल्यांकन में मध्य का भूखंड मानते हुए धनराशि जमा कराई गई है। उनसे कॉर्नर शुल्क नहीं लिया गया है रजिस्ट्री में डेड कॉर्नर भूखंड होने के कारण 4.5X4 उत्तर पूरब कोने में जो आंशिक रोड दिखाई गई है उस आंशिक रोड के कारण निबंधन हेतु 4186.00 रुपया का स्टांप पेपर अधिक लिया गया है। यद्यपि जो आंशिक रोड दर्शित है वह भूखंड सी–1/164 के आवंटी को अपने भूखंड पर प्रवेश देने के लिए है। वास्तव में जिस भूमि पर आवेदक द्वारा सड़क बनाने की मांग की जा रही है उक्त भूमि प्राधिकरण की योजना के व्यवसायिक भूमि का भाग है। जिस पर सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

अतिरिक्त भूमि सहित की गई रजिस्ट्री में जो लीज प्लान/ले–आउट प्रयुक्त किया गया है, वह सक्षम स्तर–उपाध्यक्ष के द्वारा अनुमोदित है उसमें मध्यवर्गीय अधिकारियों द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। डॉ0 राजा सिंह को आवंटित भूखंड तथा भूखंड पर जारी

किए गए इस प्लान में अंकित चौहद्दी के आधार पर निबंधन आदि की कार्यवाही प्राधिकरण के नियमों के अंतर्गत ही है।

चूंकि प्रश्नगत भूमि पर आवेदक डॉ0 राजा सिंह द्वारा सड़क बनाने की मांग की जा रही है वह व्यावसायिक भूखंड का भाग है और व्यवसायिक भूखंड के किसी ऐसे भाग पर जिस पर ले आउट में सड़क नियोजित नहीं है वहां पर सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अतः डॉ0 राजा सिंह की, उक्त व्यवसायिक भूमि पर सड़क बनाने की मांग पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

तदनुसार शासन व बोर्ड के निर्देशों के क्रम में प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

5/3/2018
(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अनुभाग–6 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार भवन टी.सी.–34, वी–1 विभूतिखण्ड गोमती नगर को सूचनार्थ।
3. सचिव, राज्य सूचना आयोग, लखनऊ, उ0प्र0 को सूचनार्थ।
4. आयुक्त/अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. संयुक्त सचिव, लोक शिकायत अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन लखनऊ को सूचनार्थ।
6. अनुसचिव–मुख्यमंत्री (श्री सुनील कुमार चौधरी) मुख्यमंत्री कार्यालय, एनेक्सी, लखनऊ।
7. डॉ0 राजा सिंह, निवासी जे–3/7, डालीबाग, लखनऊ।

(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष

विषय: प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2017–18 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित आय–व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।

लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेशनगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 के अन्तर्गत एक स्वायत्तशाषी निकाय के रुप में की गयी है, जिसका मुख्य क्रिया कलाप शहर का सुनियोजित विकास करना, अवस्थापना सुविधायें अनुमन्य कराया जाना, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति तथा उच्च वर्ग से निम्न आय वर्ग तक के जनमानस को आवास सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ हीं साथ शासन द्वारा आवंटित विभिन्न प्रकार के निर्माण/विकास कार्य किया जाना है। उक्त कार्यो को सुगमता एवं गुणवत्तापरक रुप से निष्पादित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–21 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 का अनुमानित आय–व्ययक जिसमें राजस्व आय रु0–362.00 करोड़ पूँजीगत आय रु0–2154.82 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। राजस्व आय के अन्तर्गत मुख्य रुप से किराये से प्राप्ति, 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टैम्प शुल्क, मानचित्रों की स्वीकृति से प्राप्ति, विभिन्न पुस्तिकाओं/टेण्डर की बिक्री से प्राप्ति आदि मद सम्मिलित हैं। इसी प्रकार पूँजीगत आय के अन्तर्गत सम्पत्तियों के आवंटन, पंजीकरण, फ्लैट्स की विक्री, भूमि/भवन के निस्तारण, बल्कसेल, नीलामी से प्राप्ति तथा शासकीय कार्यो हेतु शासन से अनुदान की प्राप्ति सम्मिलित है। अन्य प्राप्ति के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन/वाहन अग्रिम की वापसी से ब्याज की प्राप्ति, विनियोगों/सेन्टेज से आय आदि सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के व्यय पक्ष में अनुमानित राजस्व व्यय रु0–314.73 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय में रु0–1932.36 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। राजस्व व्यय के अन्तर्गत वेतन, विज्ञापन, डीजल, पेट्रोल, कार्यालय अनुरक्षण, स्टोर सामग्री, स्टेशनरी एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि सम्मिलित है। पूँजीगत व्ययों में भूमि अर्जन, भूमि का क्रय भूमि का विकास, मशीन संयंत्र का क्रय, विभिन्न प्रकार के निर्माण एवं विकास तथा शासकीय कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष किये जाने वाले निर्माण एवं विकास व्यय सम्मिलित है। अन्य व्यय के अन्तर्गत जमा पंजीकरण/आवंटन धनराशि की वापसी, भवन/वाहन अग्रिम पुर्नविनियोजन आदि सम्मिलित है।

अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुमानित प्राप्ति रु0–2516.82 करोड़ अनुमानित व्यय रु0–2247.09 करोड़ का आय–व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनोद कुमार श्रीवास्तव
लेखाकार

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(नोट – विस्तृत बजट, बुकलेट के रूप में अलग से अवलोकनार्थ संलग्न है।)

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड का प्रस्ताव

प्रस्ताव सं0 : 04 पृष्ठ सं.– 29

निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढावा दिये जाने हेतु प्राधिकरण की सम्पत्तियों को पी.पी.पी. मोड पर विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में अनेक व्यवसायिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा कुछ आवासीय योजनाएं भी अधिग्रहण की कार्यवाही के उपरांत भी लंबित है, जो निम्नवत् है :–

1. शान–ए–अवध, गोमती नगर विस्तार मॉल कन्सट्रक्शन का कार्य।
2. होटल–विक्रांत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. इण्डोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, कानपुर रोड योजना।
4. मोहान रोड आवासीय योजना।
5. बसंत कुंज आवासीय योजना।

प्राधिकरण की उपरोक्त व्यवसायिक योजनाएं अपनी स्थिति उपयोगिता एवं निर्माण स्थल के अनुरूप बहुत उपयोगी है तथा उक्त योजनाओं को अपनी लोकेशन का भी विशेष महत्व होने के कारण योजनाओं की ग्राहयता निर्विवादित है, किन्तु उपरोक्त का संचालन प्राधिकरण स्तर से कराया जाना व्यवहारिक नहीं है।

शान–ए–अवध जैसी योजना में विश्व स्तरीय मॉल संचालित किये जाने हेतु जिस अनुभव संचालन दक्षता की आवश्यकता है, वह प्राधिकरण स्तर से प्रतिपादित किया जाना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार इण्डोर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का संचालन भी अत्यन्त विशेषज्ञता का कार्य है।

प्राधिकरण की उपरोक्त आवासीय योजनाएं अर्जन के उपरांत विवादित रही है, जिसका समाधान निजी सहभागिता से श्रेयसकर हो सकता है।

वर्तमान में उ.प्र. सरकार तथा मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उ.प्र. में निजी सहभागिता एवं निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हुए निवेशकों को आकर्षित कर परियोजनाओं के निष्पादन की भी प्रस्तावना है। तदक्रम में दिनांक 21–22 फरवरी 2018 को उ.प्र. इन्वेस्टर समिट में उपरोक्त योजनाओं को निजी सहभागिता/निवेशकों हेतु प्रस्तावित भी किया गया था।

निजी सहभागिता हेतु उपरोक्त योजनाएं भी व्यवहारिकतानुसार निम्नवत् निस्तारण/विक्रय है :–

1. व्यवसायिक योजनाओं को फ्री–होल्ड आधार पर विक्रय किया जाना।
2. आवासीय योजनाओं को फ्री–होल्ड आधार/सृजित सम्पत्ति की सहभागिता के आधार पर विकसित किया जाना।
3. स्पोर्ट्स स्टेडियम का संचालन एवं रखरखाव उसके साथ सम्बद्ध सम्पत्तियों के संचालन के साथ–साथ लीज पर दिया जाना।

प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की गतिविधि प्रथम बार प्रस्तावित की जा रही है। अतः इन परियोजनाओं के निस्तारण हेतु कन्सलटेंट का एप्वॉन्टमेंट कर तदानुसार प्रत्येक योजना के व्यवहारिक/व्यवसायिक दृष्टिकोण से विचार कर डी.पी.आर. तैयार करायी जायेगी एवं तदानुसार योजना का निस्तारण कार्य योजना बनायी जानी प्रस्तावित है। निजी सहभागिता हेतु भारत सरकार के अधीन योजना आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों, RFQ, RFP तथा कन्सेशन एग्रीमेंट को ही आधार बनाते हुए कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर प्राधिकरण बोर्ड को भी अवगत कराते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाता रहेगा।

तदानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या: 05 पृष्ठ संख्या: 31

विषय: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अध्याय–26 के अनुसार आवासीय भूखण्डों पर बहु–आवासीय इकाईयों के निर्माण के सम्बन्ध में।

आख्या:

महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में आवासीय भूखण्डों पर इस उपविधि के प्राविधानों के अधीन बहु–आवासीय इकाईयों की अनुमति के सम्बन्ध में प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अध्याय–26.1 (II) में सामान्य अपेक्षाएं के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान है:–

"शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं/ ले–आउट प्लान्स के अन्तर्गत बहु–आवासीय इकाईयों की अनुमति ले–आउट प्लान के प्राविधानों के अनुरूप दी जाएगी। विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ऐसी योजनाओं को चिन्हांकित किया जाएगा जहाँ बढ़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन/सुदृढीकरण सम्भव है, अथवा जहाँ विकास कार्यो का स्तर घनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है।" का उल्लेख है (छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर संलग्न)।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा नियोजित योजनाओं एवं स्वीकृत योजनाओं में भवन उपविधि में अनुमन्य एककों के आधार पर ही महायोजना में अनुमन्य घनत्व के अन्तर्गत योजना नियोजित/परिकल्पित की जाती है। प्रभावी भवन उपविधि के अनुसार बहुआवासीय इकाईयों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर बनाना अनिवार्य है तथा स्टिल्ट का उपयोग केवल पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया जायेगा। उक्त प्राविधानों के दृष्टिगत महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में 12.00मी0 एवं इससे अधिक चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित विकसित क्षेत्र में भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्गमी0 एवं अविकसित क्षेत्र में भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 150 वर्गमी0 के एकल आवासीय भूखण्डों पर बहुआवासीय इकाईयों को अनुमन्य किये जाने हेतु जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करते हुए अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में 12.00मी0 एवं इससे अधिक चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित विकसित क्षेत्र में भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्गमी0 एवं अविकसित क्षेत्र में भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 150 वर्गमी0 के एकल आवासीय भूखण्डों पर बहुआवासीय इकाईयों को अनुमन्य किये जाने हेतु जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करते हुए अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

आवासीय भूखण्डों में बहु–आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

	सामान्य अपेक्षाएं	(i) महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में आवासीय भूखण्डों पर इस उपविधि के प्राविधानों के अधीन बहु–आवासीय इकाईयों की अनुमति देय होगी।
		(ii) शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं/ले–आउट प्लान्स के अन्तर्गत बहु–आवासीय इकाईयों की अनुमति ले–आउट प्लान के प्राविधानों के अनुरूप दी जाएगी। विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ऐसी योजनाओं को चिन्हांकित किया जाएगा जहाँ बढ़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन/सुदृढ़ीकरण सम्भव है, अथवा जहाँ विकास कार्यों का स्तर घनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है।
26.2	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर तथा अधिकतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से कम होगा।
26.3	पहुँच मार्ग	शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं/ले–आउट प्लान्स जो विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चिन्हांकित की जाएंगी, के अन्तर्गत भूखण्ड न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा, जबकि नई प्रस्तावित की जाने वाली आवासीय योजनाओं में भूखण्ड न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होगा।
26.4	आवासीय इकाई का न्यूनतम तल क्षेत्रफल एवं इकाईयों की संख्या	आवासीय इकाई का न्यूनतम तल क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर होगा तथा आवासीय भूखण्डीय विकास में अधिकतम 20 इकाईयाँ अनुमन्य होंगी। 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर प्रत्येक तल पर एक ही आवासीय इकाई अनुमन्य होगी जबकि 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों में 300 वर्ग मीटर के पश्चात प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक अतिरिक्त आवासीय इकाई अनुमन्य होगी।
26.5	भवन की अधिकतम ऊँचाई	भवन की अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट फ्लोर सहित 15 मीटर होगी। 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों में स्टिल्ट एवं तीन मंजिलों तथा 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों में स्टिल्ट एवं चार मंजिलों का निर्माण अनुमन्य होगा।
26.6	सैट–बैक, भू–आच्छादन, एफ.ए.आर.	(I) भवनों में सैट–बैक निम्नवत् होंगे:–

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सैट–बैक (मीटर)			
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व–1	पार्श्व–2
(क) रो– हाउसिंग				
150 से अधिक 300 तक	3.0	3.0	–	–
(ख) सेमी–डिटेच्ड				
300 से अधिक 500 तक	4.5	4.5	3.0	–
(ग) डिटेच्ड				
500 से अधिक 1000 तक	6.0	6.0	3.0	1.5
1000 से अधिक 1500 तक	9.0	6.0	4.5	3.0
1500 से अधिक 2000 से कम	9.0	6.0	6.0	6.0

(II) भवनों में भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. निम्नवत होंगेः–

भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू–आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.
150 से अधिक 300 तक	65	1.75
300 से अधिक 500 तक	50	1.50
500 से अधिक 2000 से कम	45	1.25

26.7 पार्किंग व्यवस्था

(i) आवासीय इकाई के निर्मित क्षेत्रफल के अनुसार निम्नवत पार्किंग का प्राविधान करना होगाः–

आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्रफल	प्रत्येक आवासीय इकाई हेतु समान कार स्थल की संख्या
100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक	01
100 से अधिक–150 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक	1.25
150 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल	1.50

(ii) 'समान कार स्थल' के लिए सर्कुलेशन एरिया सहित निम्न मानक होंगेः–

(क) खुले क्षेत्र में पार्किंग : 23 वर्ग मीटर

(ख) कवर्ड पार्किंग : 28 वर्ग मीटर

(ग) बेसमेन्ट में पार्किंग : 32 वर्ग मीटर

(iii) पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनिवार्य होगा। स्टिल्ट का उपयोग केवल पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा। इसमें जीना/लिफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा।

26.8 अन्य अपेक्षाएं

(i) उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु–आवासीय इकाईयां अनुमन्य किये जाने से पूर्व आवेदक से उ.प्र. नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के प्राविधानानुसार विकास शुल्क जमा कराया जाएगा।

(ii) नियोजित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्डों को समेकित (Amalgamate) कर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) सम्बन्धित कालोनी/क्षेत्र (अनुमोदित ले–आउट पलान से आच्छादित क्षेत्र) की डेन्सिटी महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में निर्धारित अधिकतम डेन्सिटी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अन्यथा डेन्सिटी में संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त ही इकाईयों का निर्माण अनुमन्य किया जाएगा।

(iv) भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति के समय स्ट्रक्चरल इन्जीनियर का प्रमाण–पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) भवन की ऊँचाई ए.एस.आई के रेगुलेटेड एरिया, एयरपोर्ट फनल जोन तथा अन्य स्टैच्यूटरी नियंत्रण (यदि हो), आदि से नियन्त्रित होगी।

(vi) भवनों का नियोजन, अभिकल्पन एवं निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के भाग–4 'फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी' की अपेक्षानुसार अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(vii) भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार होंगी।

(viii) चार से अधिक आवासीय इकाईयों की स्थिति में उ.प्र. अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 एवं तदधीन बनाए गए रूल्स एवं बाइलाज प्रभावी होंगे।

विषय संख्याः 06 पृष्ठ संख्याः 34

विषयः पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में।

आख्याः

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–244(1)/8–3–18–38रिट/2016, दिनांक 28 फरवरी, 2018 के साथ संलग्न लोक निर्माण अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–736/23–9–2017–30ए0सी0/2017, दिनांक 05 जून, 2017 जो ओ0ए0 संख्या–102/2014 सैण्ड प्लास्ट (इण्डिया) प्रा0 लि0 बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में राजकीय योजनाओं, कार्यक्रमों से संबंधित समस्त प्रशासकीय विभाग एवं अधिकृत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किये जाने तथा फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों को निर्माण कार्यो में उपयोग किये जाने हेतु अपनी नियमावलियाँ, उपविधियों, बिल्डिंग, उपविधि में भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के संज्ञान में लेते हुए आवश्यक संशोधन/परिवर्तन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न पर्यावरण अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कोयला अथवा लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में ओ0ए0 सं0–102/2014 सैण्ड प्लास्ट बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कतिपय दिशा–निर्देश अपनी अधिसूचना दिनांक 25.01.2016 द्वारा जारी किये गये हैं।

उपरोक्त शासनादेशों द्वारा जारी किये दिशा–निर्देश एवं अधिसूचना के कतिपय दिशा–निर्देशों को प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराकर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :

शासनादेशों द्वारा जारी किये दिशा–निर्देशों को प्रचलित भवन उपविधि में सम्मिलित किये जाने के अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

संलग्नक 35

संख्या—244(1)/8—3—18—38 रिट/2016

प्रेषक

संजय कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

3. उपाध्यक्ष,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

4. उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

5. उपाध्यक्ष,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 लखनऊ : दिनॉक : 28 फरवरी, 2018

विषय :— पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण में विचार—विमर्श हेतु अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07.03.2018 को विकास भवन द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में एक बैठक आहूत की गयी है।

2— इस संबंध में विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग—9 के पत्र संख्या—158/23—9—2018-30एसी/2014 दिनांक 15.02.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग की अद्यतन स्थिति की सूचना शासन को दिनांक 05.03.2018 तक फैक्स/ई—मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Verma-G.O.-2016-17

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग–9
संख्या–158 /23–9–2018–30एसी/2014
लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2018

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
पर्यावरण/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/शिक्षा विभाग/
कृषि विभाग/ऊर्जा विभाग/भू–तत्व खनिकर्म विभाग/
ग्राम विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग/
पंचायती राज विभाग/राजस्व विभाग/सिंचाई विभाग/
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–225, दिनांक 25.01.2016 प्रकाशित की गयी है।

2– भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 25.01.2016 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की ओर से जारी शासनादेश संख्या–13/2017/441/55–पर्या–2–45(रिट)/2016, दिनांक 28.06.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत अधिसूचना में दिये गये दिशा–निर्देशों का संबंधित इकाइयों एवं विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3– फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने तथा संबंधित उपविधियों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–1145/23–9–2016–30ए0सी0/2014, दिनांक 30.06.2016, अनुस्मारक पत्र दिनांक 24.08.2016 एवं शासनादेश संख्या–736/23–9–2016–30ए0सी0/2014, दिनांक 05.06.2017 (प्रतियां संलग्न) द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 25.01.2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही

क्रमशः....

की अद्यतन स्थिति/अनुपालन आख्या लोक निर्माण विभाग एवं पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु उक्त वांछित आख्या अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

4— इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में विचाराधीन रिट याचिका संख्या—549 (एम0बी0)/2016 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2017 के अनुपालन में फ्लाई ऐश के उपयोग की स्थिति से मा0 न्यायालय को अवगत कराया जाना है। अतः संबंधित विभागों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग की पूर्ण सूचना की तत्काल आवश्यकता है।

5— इसी विषय में उच्चस्तरीय विचार—विमर्श हेतु अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2018 को अपरान्ह 04:00 बजे से विकास भवन द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी है।

6— कृपया उक्त बैठक में पूर्ण सूचना सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

आदर सहित

20/02/18

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

2— निजी सचिव, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

3— प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के पत्र दिनांक 30.06.2016/05.06.2017 तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन के आदेश दिनांक 28.06.2017 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या/टिप्पणी (बुकलेट 15 प्रतियों में) बैठक के उपयोगार्थ दिनांक 23.02.2018 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें तथा उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

4— विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग—9, उ0प्र0शासन।

5— संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग—9, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

(भास्कर पाण्डेय)
अनु सचिव।

अनुस्मारक / कोर्ट केस सर्वोच्च / महत्वपूर्ण
संख्या–736/23–9–2017–30ए0सी0/2014

प्रेषक,

[illegible],
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव
पर्यावरण/ऊर्जा/भूतत्व खनिकर्म/वन,
ग्रामीण अभियंत्रण/ग्राम्य विकास/कृषि/श्रम/सिंचाई,
आवास/नगर विकास/गन्ना/समाज कल्याण/सहकारिता,
पंचायती राज/गृह/शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

लोक निर्माण अनुभाग–9 लखनऊ : दिनाँक 05 जून, 2017

विषयः–ओ0ए0 संख्या–102/2014 सैण्ड प्लास्ट(इण्डिया) प्रा0लि0 बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन व फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1145/23–9–2016–30एस0सी0/2014 दिनांक 30.6.2016 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या–1351/23–9–2016–30ए0सी0/2014, दिनांक 24 अगस्त, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा ओ0ए0 संख्या–102/2014 सैण्ड प्लास्ट(इण्डिया) प्रा0लि0 बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन व फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में राजकीय योजनाओं, कार्यक्रमों से संबंधित समस्त प्रशासकीय विभाग एवं अधिकृत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा फ्लाई ऐश आधारित उत्पादकों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किये जाने तथा फ्लाई ऐश आधारित उत्पादकों को निर्माण कार्यो में उपयोग किये जाने हेतु अपनी नियमावलियों, उपविधियों, बिल्डिंग, उपविधि में भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक संशोधन/परिवर्तन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु उक्त के संबंध में कृत कार्यवाही से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनॉक 12.01.2017 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–14 पर निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:–

> "थर्मल पावर स्टेशनों से जनित फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु निर्माण कार्य से जुड़े विभागों के जो भी टेण्डर उनके द्वारा जारी किये जाय उनमें 15 प्रतिशत फ्लाई ऐश का प्रयोग किये जाने के शर्त रखी जाये। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में थर्मल पावर स्टेशन से 300 कि0मी0 क्षेत्र में फ्लाई ऐश सप्लाई करने का व्यय भार संबंधित थर्मल पावर स्टेशन द्वारा ही किया जाना है। इस संबंध में आने वाले व्यय का आकलन कर वॉछित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।"

3– अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में शासनादेश दिनांक 30.06.2016 के अनुपालन में की गयी

क्रमशः.....

[illegible] के अंतर्गत [illegible] संस्था तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में 15 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये हुए कृत कार्यवाही की सूचना/अनुपालन आख्या लोक निर्माण विभाग एवं पर्यावरण विभाग को 15 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2— प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 30.06.2016 की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही की सूचना 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- निदेशक पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4— प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 लखनऊ
6 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भास्कर पाण्डेय)
अनु सचिव।

40

महत्वपूर्ण

[illegible]

प्रेषक,

श्री राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उ0प्र0।

4- निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0
लखनऊ।

5- सदस्य सचिव,
उ0प्र0प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 28 जून, 2017

विषय- प्रदेश में कोयला अथवा लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कोयला अथवा लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में ओ0ए0 सं0-102/2014 सैण्ड प्लास्ट बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य सम्बद्ध वादों में समय-समय पर पारित आदेशों के अनुक्रम में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कतिपय दिशा-निर्देश अपनी अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2016 द्वारा जारी किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

(सुनील कुमार)
निजी सचिव,
मंत्री, लोक निर्माण विभाग
उ0प्र0 शासन।

1. प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (जिसके अन्तर्गत कैपटिव और/या सह उत्पादन केन्द्र भी है) अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर उनके पास उपलब्ध प्रत्येक किस्म की ऐश के स्टाक के ब्यौरे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसके पश्चात मास में कम से कम एक बार स्टाक की स्थिति को अद्यतन करेगा।

2. प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र समर्पित शुष्क ऐश साइलोस प्रतिष्ठापित करेगा, जिनके पास पृथक पहुंच मार्ग होंगे, जिससे कि फ्लाई ऐश के परिदान को सुगम बनाया जा सके।

श्री अशोक
6/7/17

3. कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर सड़क संनिर्माण परियोजनाओं या ऐश आधारित उत्पादों के संनिर्माण के लिये या कृषि सम्बन्धित क्रियाकलापों में मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग के लिये ऐश के परिवहन की लागत ऐसे कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र

वहन नहीं की जायगी और 100 किलोमीटर की परिधि से परे और 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे परिवहन की लागत को उपभोक्ता और कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के बीच समान रूप से अंश भाजित की जाएगी।

4. कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र अपने परिसरों के भीतर या अपने परिसरों के आस–पास ऐश आधारित उत्पाद संनिर्माण सुविधाओं का संवर्धन करेंगे, उन्हे अपनाएंगे और उनकी स्थापना करेंगे।(वित्तीय और अन्य सहबद्ध अवसंरचना)

5. नगरों के आस–पास बने कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र ऐश आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयों का संवर्धन करेंगे और उनकी सहायता करेंगे ताकि ईंटो और अन्य भवन संनिर्माण सामग्रियों की अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके और साथ ही परिवहन में कमी की जा सके।

6. यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी सड़क संनिर्माण का संविदाकार सड़क निर्माण में ऐश का उपयोग करता है, सड़क संनिर्माण के लिये संबद्ध प्राधिकारी संविदाकार को किए जाने वाले संदाय को तापीय विद्युत संयंत्र से ऐश के प्रदाय के प्रमाणीकरण के साथ जोड़ेगा।

7. कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन सड़क संनिर्माण परियोजनाओं और भवनों सड़कों, बांधों और तटबन्धों के संनिर्माण को अंतर्वलित करने वाले सरकार के आस्ति सृजन कार्यक्रमों के स्थल तक ऐश के परिवहन की सम्पूर्ण लागत का वहन करेगा।

8. विभिन्न संनिर्माण परियोजनाओं का अनुमोदन करने वाले सभी राज्य प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि फ्लाई ऐश का उपयोग करने या फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के लिये तापीय विद्युत संयंत्रों और संनिर्माण अभिकरण या संविदाकारों के बीच परस्पर समझ ज्ञापन या कोई अन्य ठहराव किया जाता है।

9. राज्य प्राधिकारी, दस लाख या अधिक की जनसंख्या वाले नगरों की भवन निर्माण सम्बन्धी उप विधियों का संशोधन करेंगे ताकि भार वहन करने वाली संरचनाओं हेतु तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुये ऐश आधारित ईंटों के अज्ञापक उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

10. सम्बद्ध प्राधिकारी सभी सरकारी स्कीमों या कार्यक्रमों में, उदाहरणार्थ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (मनरेगा), स्वच्छ भारत अभियान, शहरी और ग्रामीण आवासन स्कीम, जहां संनिर्मित क्षेत्र एक हजार वर्ग फुट से अधिक है और अवसरंचना सम्बन्धी संनिर्माण में, जिसके अन्तर्गत अभिहित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों या विशेष आर्थिक जोनों में भवन निर्माण भी है, ऐश आधारित ईंटो या उत्पादों के आज्ञापक उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।

एवं मानव कृषि क्रियाकलापों में ऐश का मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग का मूल्यांकन करने पर विचार कर सकेगा।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नोडल विभाग लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें तथा फ़्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरिंग एसोसियेशन द्वारा राज्य में स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों की सूची लोक निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जाये तथा इन विभागों द्वारा इकाइयों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, एन0टी0पी0सी0, एन0टी0पी0सी0 भवन, स्कोप काम्पलेक्स, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003
4. अध्यक्ष, फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड प्रोमोटर्स एसोसियेशन, 5, स्वप्न लोक अपार्टमेंट, आई.वी.आर.आई. रोड, बरेली।
5. फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन दिल्ली, एन0सी0आर0 रीजन, 178, ब्लाक–III, गंगा शापिंग काम्प्लेक्स, सेक्टर–2, नोयडा–201301, उ0प्र0।
6. मैसर्स हिन्डालको इण्ड0 लि0, (पावर डिवीजन) रेनूकूट, सोनभद्र।
7. मैसर्स लैंको अनपरा पावर लि0, अनपरा, सोनभद्र।
8. मैसर्स बजाज इनर्जी प्रा0 लि0, कुन्दरकी गोंडा/ईटइमैदा, उतरौला, बलरामपुर/ग्राम व पोस्ट मकसूदपुर, शाहजहॉपुर/ग्राम–बरखेड़ा, बीसलपुर, पीलीभीत।
9. मैसर्स रोजा पावर सप्लाई कं0 लि0, हरदोई रोड, शाहजहॉपुर।
10. मैसर्स ललितपुर पावर जनरेशन, जनपद–ललितपुर।
11. मैसर्स प्रयागराज पावर, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव

विषय संख्याः 07 पृष्ठ संख्याः 43

विषयः नियोजित रूप से विकसित/स्वीकृति उपरान्त विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले मानचित्रों के सम्बन्ध में।

आख्याः

लखनऊ विकास क्षेत्र हेतु दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 से लखनऊ महायोजना–2031 प्रभावी है जिसके अन्तर्गत विकास क्षेत्र अत्यधिक बढोत्तरी होने के पश्चात वर्तमान विकास क्षेत्र 1050 वर्ग किमी0 हो गया है। विकास क्षेत्र के अन्तर्गत समय–समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न–भिन्न उपयोग के मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते है चूँकि इस क्षेत्र का ले–आउट प्लान प्राधिकरण से अनुमोदित न होने के कारण इन मानचित्रों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाता है। जिसके फलस्वरूप भू–स्वामियों/संस्थाओं द्वारा सड़क निर्मित कर विकास आदि का कार्य करा लिया जाता है, जिस कारण अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है एवं प्राधिकरण को आर्थिक क्षति होती है।

लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अविकसित क्षेत्र में तलपट मानचित्र स्वीकृति के अभाव में एकल आवासीय भूखण्ड जो कि न्यूनतम 9.00 मी0 या उससे अधिक तथा अन्य अनावासीय यथा व्यावसायिक, कार्यालय, शैक्षिक, संस्थागत, नर्सिंगहोम आदि के मानचित्र 12 मी0 से अधिक चौडी विद्यमान सड़क पर हैं, के मानचित्र विकास शुल्क, उपविभाजन शुल्क एवं अन्य शुल्कों को लेते हुए नये निर्माण स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तलपट मानचित्र स्वीकृति के अभाव में एकल आवासीय भूखण्ड न्यूनतम 9.00 मी0 या उससे अधिक चौडी सड़क तथा अन्य अनावासीय यथा व्यावसायिक, कार्यालय, शैक्षिक, संस्थागत, नर्सिंगहोम आदि के मानचित्र 12.00 मी0 तथा इससे अधिक चौडी विद्यमान सड़क पर हैं, के मानचित्र विकास शुल्क, उपविभाजन शुल्क एवं अन्य शुल्कों को प्राप्त करते हुए नये निर्माण स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्याः 08 पृष्ठ संख्याः 44

विषयः जानकीपुरम योजना के सेक्टर–जे विस्तार के अन्तर्गत सृष्टि अपार्टमेन्ट एवं स्मृति अपार्टमेन्ट तथा सुलभ आवास योजना के बीच नियोजित 18.00 मी0 चौडे रोड के अंश भाग पर पुनर्नियोजन कर तैयार किये गये एवं व्यावसायिक भूखण्ड से सम्बन्धी तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

आख्याः

जानकीपुरम योजना के सेक्टर–जे विस्तार के अन्तर्गत सृष्टि अपार्टमेन्ट एवं स्मृति अपार्टमेन्ट तथा सुलभ आवास योजना के बीच 18.00 मी0 चौडी रोड नियोजित है। अधिशासी अभियन्ता, जोन–5 के पत्र सं0–395/अ0अ0 जोन–5/2017, दिनांक 11.09.2017 द्वारा उक्त 18 मी0 चौडे सड़क के पुनर्नियोजन किये जाने के अनुरोध के क्रम में उक्त सड़क का पुनर्नियोजित करते हुए सड़क के निष्प्रयोज्य डेड–इण्ड वाले भाग पर एक व्यवसायिक भूखण्ड सं0–सी0पी0–3 क्षेत्रफल लगभग 899.20 वर्गमी0 का सृजन करते हुए एक्जीक्यूशन प्लान (सुविधाजनक दुकानें, जलपानगृह, शोरूम) का अनुमोदन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 01.02.2018 द्वारा किया गया है, उक्त कार्योत्तर प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। अनुमोदित प्लान की प्रति संलग्न है।

प्रस्ताव :

उपरोक्तानुसार जानकीपुरम योजना के सेक्टर–जे विस्तार के अन्तर्गत सृष्टि अपार्टमेन्ट एवं स्मृति अपार्टमेन्ट तथा सुलभ आवास योजना के बीच नियोजित 18.00 मी0 चौडे रोड के अंश भाग पर पुनर्नियोजन कर सड़क के निष्प्रयोज्य डेड–इण्ड वाले भाग पर एक व्यवसायिक भूखण्ड सं0–सी0पी0–3 क्षेत्रफल लगभग 899.20 वर्गमी0 का सृजन करते हुए एक्जीक्यूशन प्लान (सुविधाजनक दुकानें, जलपानगृह, शोरूम) का कार्योत्तर प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अनुमोदन की दशा में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्याः– 09 पृष्ठ संख्याः– 45

विषयः डा0 राम मनोहर लोहिया इंन्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ परिसर से एकेडमिक ब्लॉक भवन के मध्य सब–वे कनैक्ट करने के सम्बन्ध में।

आख्याः

प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या–टी0सी0/37/–वी–3/1, 3/2 एवं 3/3 तथा भूखण्ड संख्या–टी0सी0/ 37–वी–3/4 जिस पर क्रमशः वर्तमान कैम्पस तथा निर्माणाधीन एकेडिमक ब्लाक स्थित है। संस्थान के वर्तमान कैम्पस एवं एकेडिमक ब्लॉक कैम्पस जोकि चौराहे पर विपरीत कोनों में स्थित है। वर्तमान में चौराहे से होकर आवागमन किया जा रहा है। इन दोनों कैम्पसों को सब–वे के माध्यम से आपस में जोड़ने का प्रस्ताव संस्थान के निदेशक द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी ड्राइंग/डिजाईन अनुलग्नक–1 पर अवस्थित है। लोक निर्माण विभाग के मानक के अन्तर्गत सब–वे की स्पष्ट ऊँचाई 6.00 मी0 प्रस्तावित की गयी है। यह भी अवगत कराना है कि लोहिया पथ स्थित फन रिपब्लिक माल के पास सड़क पर उपरिगामी सब–वे निर्मित किया गया है, जिसकी स्पष्ट ऊँचाई भी लगभग 6.00 मी0 है।

<u>प्रस्ताव</u>

डा0 राम मनोहर लोहिया इंन्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के भूखण्ड संख्या–टी0सी0/37/–वी–3/1, 3/2 एवं 3/3 तथा भूखण्ड संख्या–टी0सी0/ 37–वी–3/4 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ परिसर से एकेडमिक ब्लॉक भवन के मध्य सब–वे कनैक्ट करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

46

संलग्नक

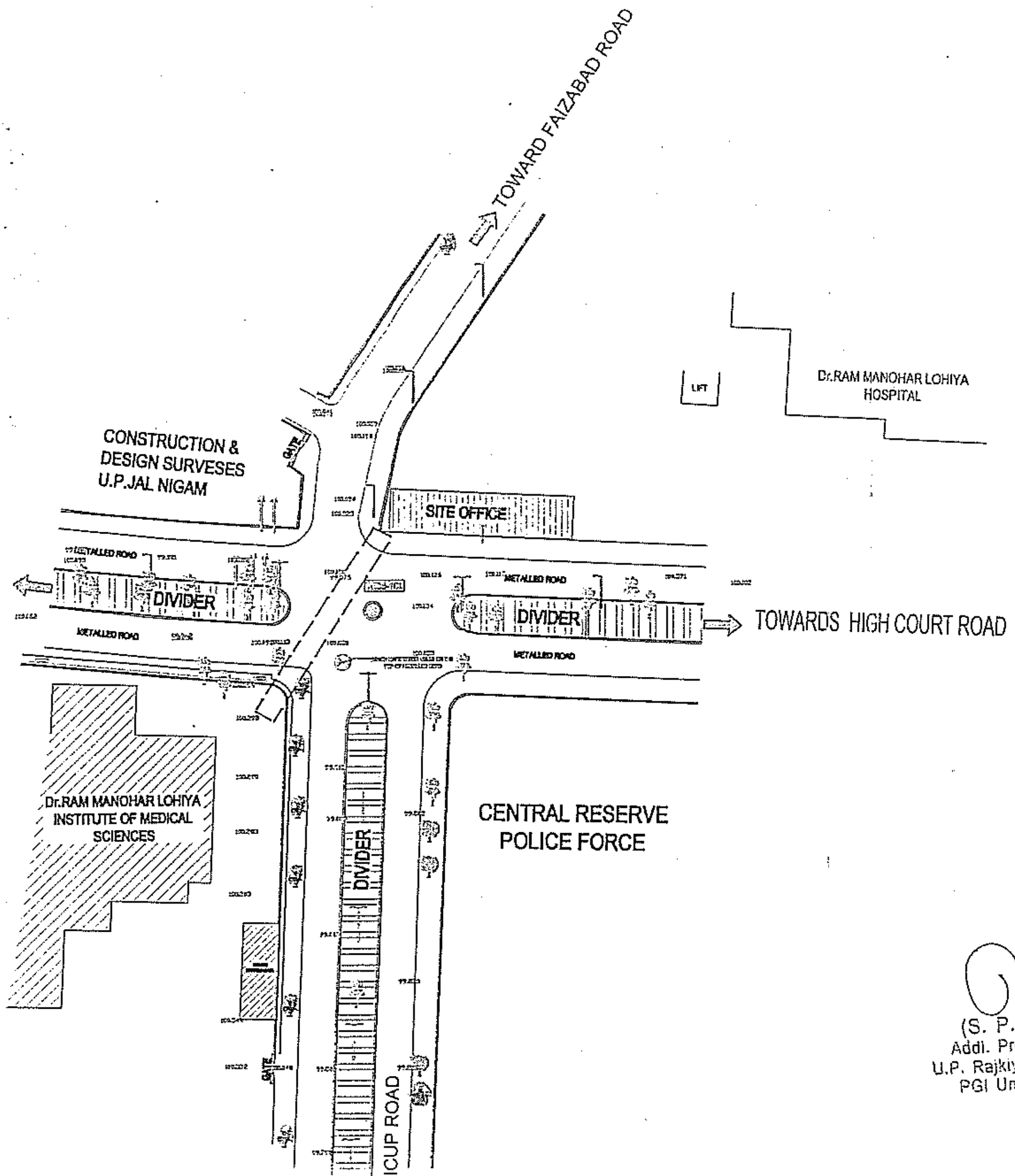

(S. P. Khanduri)
Addl. Project Manager
U.P. Rajkiya Nirman Nigam
PGI Unit-1, Lucknow

NORTH:- N

LEGEND

NAME	SYMBOL
NORTH	
ELECTRIC POLE /EP+H.T/HT POLE	
STREET LIGHTS & LAMP	
TELEPHONE POLE	
HT LINE / LT LINE	
DRAIN	DRAIN
BOUNDARY WALL / BUILDING / TIN SHED	
GATE	
PLATFORM / CHABUTRA	
METALLED ROAD	METALLED ROAD
EARTHEN (KUTCHA) ROAD	KUTCHA ROAD
ROAD WIDENING	
DIVIDER	DIVIDER
CENTER LINE OF ROAD	
ARROW	
PROJECT BOUNDARY / PROPERTY LINE	
TREE	
BENCH MARK	
SPOT LEVEL (GROUND LEVEL)	
ROAD LEVEL	
DIMENSION	

PHYSICAL SURVEY PLAN OF ________ NEAR ________
SITUATED AT ________ GOMTI NAGAR, LUCKNOW.

SURVEYED FOR:-

SURVEYED BY:-

NORTH:-	SCALE:-	TOTAL AREA:-
	1:750 @ A3 Or = (1cm.= 7.50 m.) DATE OF START:- 08.12.2017 DATE OF COMPLETION:- 09.12.2017	
SURVEYED BY:	PROP :	CLIENT :
SIGNATURE:-	SIGNATURE:-	SIGNATURE:-
MUKESH KUMAR	RAMGOPAL TIWARI	

विषय– यू0पी0 एस्वेस्ट्स लि0, ग्राम–मऊ, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ के क्षेत्रफल 19.088 हेक्टेयर भूमि का भू–उपयोग आवासीय से औद्योगिक में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

आख्या–

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–351/आठ–8–18–18एल0यू0सी0/2018, दिनांक 14 मार्च, 2018 के साथ संलग्न प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एस्वेस्ट्स लि0 द्वारा ग्राम–मऊ, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ के गाटा सं0–1182क, 1184, 1185, 1186, 1203ग, 1204, 1207, 1251, 1258ख, 1363क, 1299, 1257ख, 1297, 1253, 1252ख, 1232, 1251ख, 1252क, 1262, 1258क, 1259क, 1260, 1261, 1263ख, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1298 के क्षेत्रफल 19.088 हेक्टेयर भूमि का भू–उपयोग आवासीय से औद्योगिक में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्राधिकरण को पत्र प्राप्त हुआ (छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर अवस्थित है)। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, मोहनलालगंज, लखनऊ की आख्या दिनांक 01.02.2015 में उल्लिखित है कि प्रश्नगत भूमि औद्योगिक विकास अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा यू0पी0 एस्बेस्ट्स लि कम्पनी, ग्राम–मऊ, प0त0–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ में भूमि अधिग्रहण कर गर्वनमेंट ग्राण्ट के अन्तर्गत ट्रांसफर डीड के माध्यम से उ0प्र0 सरकार द्वारा यू0पी0 एस्वेस्ट्स लि0 को दिनांक 30.11.1974 को दी गई है तथा तहसीलदार की संदर्भित आख्यानुसार स्थल पर फैक्ट्री निर्मित है (छायाप्रति अनुलग्नक–2 पर अवस्थित है)। उक्त भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित भू–उपयोग परिवर्तन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में पक्ष द्वारा नियम–5(1) में शुल्क जमा करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया है (छायाप्रति अनुलग्नक–3 पर अवस्थित है)।

उपरोक्त उल्लखित गाटा संख्याओं से सम्बन्धित स्थल लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत लखनऊ–रायबरेली महायोजना मार्ग पर स्थित है । इस महायोजना मार्ग की चौडाई 100 मी0 प्रस्तावित है तथा तत्पश्चात 50 मी0 चौडा ग्रीन बेल्ट दर्शित है (छायाप्रति अनुलग्नक–4 पर अवस्थित है) तत्पश्चात अवशेष भूमि का भू–उपयोग आवासीय दर्शित है।

प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एस्वेस्ट्स लि0 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में ग्राम–मऊ के उल्लिखित गाटा संख्या के क्षेत्रफल 19.088 हेक्टेयर भूमि में से महायोजना मार्ग से प्रभावित भूमि एवं 50 मी0 ग्रीन बेल्ट की भूमि को छोडते हुए अवशेष भूमि का भू–उपयोग आवासीय से औद्योगिक में परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :

उपर्युक्त आख्या के परिप्रक्ष्य में यू0पी0 एस्वेस्ट्स लि0, ग्राम–मऊ, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ के क्षेत्रफल 19.088 हेक्टेयर भूमि में से महायोजना मार्ग से प्रभावित भूमि एवं तत्पश्चात 50 मी0 ग्रीन बेल्ट की भूमि को छोडते हुए अवशेष भूमि का भू–उपयोग आवासीय से औद्योगिक में परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। सहमति की दशा में प्रकरण शासन को संदर्भित करते हुये उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

अनुलग्नक-1

49

संख्या—381/आठ—8—18—18(एल0यू0सी0)/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—8 लखनऊ : दिनांकः 14 मार्च, 2018

विषयः— जनपद—लखनऊ स्थित मोहनलाल गंज में मास्टर प्लान योजना में आवासीय भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एस्बेस्टट्स लि0, हजरतगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक 12.03.2018 की छायाप्रति तथा भू—उपयोग परिवर्तन के संबंध में शासनादेश संख्या—1374/आठ—8—17—60एल0यू0सी0/2017, दिनांक 29.12.2017 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत भू—उपयोग परिवर्तन का पूर्ण प्रस्ताव स्पष्ट संस्तुति एवं संगत अभिलेखों सहित शासन को दिनांक 20.03.2018 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,
14.3.18
(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव।

375/CTP/18
19/3/18
19/3/18

Mishra Ji.LUC GO

U.P. Asbestos Ltd.
Multistoried Estate Building, Hazratganj, Lucknow-226001 (India)
Phone (0522) 2622905-6, 2610941, 2206338 CIN : L26942UP1973PLC003743
Website : www.upasbestos.com • email : upasbestos@upasbestos.com

March 12, 2018

The Principal Secretary – Housing
U.P. Government
Lucknow

Dear Sir,

We are a company manufacturing Asbestos sheets in Mohanlalganj, Lucknow since 1974. The land was sold to us vide Transfer Deed under Government Grant Act by U.P. Government Industry Department. The Transfer deed has certain conditions for usage of land which is industrial and warehousing.

In the Investor Summit we have signed a MOU for implementation of warehousing on our land in Mohanlalganj. However, in the extended Master Plan of LDA the land is shown as meant for residential purpose. As per our transfer deed we cannot do residential activity on this land.

We request you for the following :-

1. Conversion of land from residential to industrial may kindly be done at the earliest without going through the process of circulation to all departments of the government and notice period. Since land was given by government only for industrial & warehousing use. As we are converting higher usage to lower usage (there is no charge as per rules of LDA). Also there is already a factory running on the land.
2. Ours is an existing industry for the last 40 years so no development charges may be levied on the existing buildings.
3. We have already done full development on the land and require no further development from LDA. We have our own road, water, sewerage system including water harvesting all in place and have paid for the electricity lines. We request that a minimal development charges may be levied on us.
4. We request for early approval on our plans.

Thanking you,

Yours faithfully,
for U.P. Asbestos Ltd.

(Amitabh Tayal)
Managing Director

Regd. Office & Works : Mohanlalganj, Lucknow-226 301, Phone : (+91) 7897885557, 7897885558

Website : www.upasbestos.com • email : upasbestos@upasbestos.com

March 1[illegible], 2018

Vice Chairman
Lucknow Development Authority
Lucknow

Dear Sir,

We are a company manufacturing Asbestos Cement sheets in Mohanlalganj, Lucknow since 1974. The land was sold to us vide Transfer Deed under Government Grant Act by U.P. Government Industry Department. The Transfer deed has certain conditions for usage of land which is basically industrial and warehousing.

In the Investors Summit we have signed a MOU for implementation of warehousing (approx.6-7 lakhs sq. ft.) on our land in Mohanlalganj. However, in the extended Master Plan of LDA the land is shown as meant for residential purpose. As per our transfer deed we cannot do residential activity on this land, and U.P. Government has not allowed any change in the usage conditions.

We request Conversion of land from residential to industrial may kindly be done at the earliest without going through the process of circulation to all departments of the government and notice period. As we are converting higher usage to lower usage (there is no charge as per rules of LDA).

The above request is made so as to enable save precious time. Our plans for warehouses are under preparation and shall be submitted as soon as ready.

Thanking you,

Yours faithfully,
for U.P. Asbestos Ltd.

(Amitabh Tayal)
Managing Director

c.c.: The Principal Secretary-Housing
U.P. Government, Lucknow

U.P. Asbestos Ltd.
Mahmoodabad Estate Building, Hazratganj, Lucknow-226001 (India)
Phone : (0522) 2622906-8, 2612841, 2200538 CIN : L26942UP1973PLC003743
Website : www.upasbestos.com • email : upasbestos@upasbestos.com

March 22, 2018

Vice Chairman
Lucknow Development Authority
Lucknow

Dear Sir,

We are a company manufacturing Asbestos Cement sheets in Mohanlalganj, Lucknow since 1974. The land was sold to us vide Transfer Deed under Government Grant Act by U.P. Government Industry Department. The Transfer deed has certain conditions for usage of land which is basically industrial and warehousing.

In the Investors Summit we have signed a MOU for implementation of warehousing (approx.6-7 lakhs sq. ft.) on our land in Mohanlalganj. However, in the extended Master Plan of LDA the land is shown as meant for residential purpose. As per our transfer deed we cannot do residential activity on this land, and U.P. Government has not allowed any change in the usage conditions.

We request Conversion of land from residential to industrial may kindly be done at the earliest. As we are converting higher usage to lower usage (there is no charge as per rules of LDA).

The above request is made so as to enable save precious time. Our plans for warehouses are under preparation and shall be submitted as soon as ready.

Thanking you,

Yours faithfully,
for U.P. Asbestos Ltd.

(Priyank Tayal)
Director

संख्या–1374/आठ–8–17–60एलयूसी/2017

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास
परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2017

विषय :उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अंतर्गत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अधीन महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन की व्यवस्था है। महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना संख्या–2281/8–3–14–194विविध/14, दिनांक 11.12.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उदग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 बनायी गयी है। प्रायः यह देखने में आया है कि निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किये जाने तथा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में शासन स्तर पर विचार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेखों को संलग्नकर एवं निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना प्रस्ताव प्रेषित कर दिये जाते हैं। फलस्वरूप अपूर्ण प्रस्तावों के कारण भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है और उन प्रकरणों में शासन स्तर पर निस्तारण किये जाने में कठिनाई होती है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उदग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में विहित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए निम्नांकित स्वच्छ/पठनीय एवं हस्ताक्षरित सूचना/अभिलेखों को संलग्न कर सम्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायः–

(1) भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उदग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014

[illegible]

के प्रस्तर–5(1) में संलग्न निर्धारित प्रारूप (क से ड़ के अनुसार) पर भू– परिवर्तन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र।

(2) भूस्वामित्व संबंधी प्रमाणित अभिलेख।

(3) प्राधिकरण की बोर्ड के निर्णय/संस्तुति की प्रति।

(4) भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व मानचित्र, महायोजना का रंगीन मानचित्र, महायोजना में सुपर इम्पोज़ रंगीन मानचित्र, महायोजना के पार्ट मानचित्र पर ले–आउट प्लान का रंगीन मानचित्र।

(5) प्रदेश में व्यक्ति/संस्था के स्वामित्व में कुल भूमि का क्षेत्रफल।

(6) प्रस्तावित भू–उपयोग हेतु भूमि के निर्विवाद होने/लम्बित वाद की स्थिति।

(7) प्रस्तावित भू–उपयोग की भूमि के मध्य शासकीय/सार्वजनिक भूमियों की स्थिति, यदि कोई शासकीय भूमि नहीं हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र।

(8) यदि शासकीय/सार्वजनिक भूमियां प्रस्तावित भू–उपयोग के मध्य स्थित हैं, तो उसके व्यवस्थापन की विधि।

(9) प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन से महायोजना पर प्रभाव की स्थिति।
(उक्त कार्यवाही उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13(3) के प्रस्ताव हेतु की जायेगी।)

(10) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13(2) के अधीन कार्यवाही हेतु जब प्रस्ताव प्रेषित किया जाय तो जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव के निस्तारण हेतु गठित समिति की संस्तुति भी निर्धारित चार्ट पर समिति की संस्तुति तथा मन्तव्य के साथ प्रेषित की जाय।

3– स्पष्ट किया जाता है कि चेक लिस्ट में अंकित बिन्दुओं की स्पष्ट स्थिति के बिना यदि प्रस्ताव शासन में प्रेषित किये जाते हैं तो प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1374(1)/आठ–8–17–60एलयूसी/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव।

M.LUC.GO

तहरीर

श्रीमान् सेवा में अनुपालन में आपके आदेश संख्या 122/73-3-15-154 एन/2013 औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 23 जनवरी 2015 यू.पी. एक्सप्लोसिव्स लि. कम्पनी ग्राम नकटी, प.व. मोहन लाल गंज जिला-लखनऊ में भूमि अधिग्रहण की गवर्नमेंट गजट के अनुसार [illegible] दिनांक 30-11-1974 को दी गई 46.68 एकड़ भूमि की स्थिति में आख्या निम्न प्रकार है।—

जांच की। विदित हुआ कि ग्राम नकटी, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ के [illegible] खतौनी में यू.पी. एक्सप्लोसिव्स लि. मोहन लाल गंज, लखनऊ के नाम गाटा सं०

1182क/8, 1184/21.10, 1185/1, 1186/11.13, 1203ग/1, 1204/3.14, 1206ख/3, 1229/58.4, 1258ख/3, 1363ख/13, 1255/5.14, 1246ग/1, 1256/4.14, 1253/11.10, 1252ख/6.14 कुल 64.12 दर्ज कागजात है जिसमें से गाटा सं. 1249/12 कि. यू.पी. [illegible] कम्पनी को दिया गया है। इस प्रकार यू.पी. एक्सप्लोसिव्स के पास भाग A में 62.12 भूमि बची है। तथा ग्राम नकटी की खतौनी संख्या 1642 (Z.A.) में यू.पी. एक्सप्लोसिव्स लि. मोहन लाल गंज, लखनऊ के नाम गाटा सं० 1232/0.038, 1251ख/0.063, 1252क/1.129, 1262/0.202, 1258क/0.433, 1259ग/0.332, 1260/0.025, 1261/0.051, 1263ख/0.101, 1264/0.392, 1265/0.066, 1266/0.028, 1267/0.030, 1268/0.025, 1298/0.266 कुल 3.189 हे. भूमि है। इस प्रकार यू.पी. एक्सप्लोसिव्स लि. मोहनलालगंज के नाम कुल रकबा 19.088 हे. है।

(1) कम्पनी वर्तमान समय में चालू है।

(2) फैक्ट्री लगाई भूमि ~~के अन्य~~ पर कम्पनी व अन्य कुल 27142 वर्ग मी. पर कब्जे है तथा शेष भूभाग 16.373 हे. खाली है।

संलग्नक — आख्या सेवा में प्रेषित है।

1-2-2015

1-2-15

(1) नक्शा

(2) 143 हेतु [illegible] अधिकार पत्र की [illegible]

(3) [illegible] खतौनी

तहसीलदार
मोहनलालगंज, लखनऊ

अनुलग्नक-3

भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन
नियम-3(1)

सेवा में

उपाध्यक्ष,
[illegible] विकास प्राधिकरण,
....

विषयः भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा RESIDENTIAL (प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू-उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के INDUSTRIAL (प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसके साथ दिये गये विवरण निम्नवत् हैं:-

(क) राजस्व ग्राम/तहसील और जिले का नाम MAU, MOHANLAL GANJ, LUCKNOW.

(ख) भूमि का विवरण :- AS PER ANNEXURE-1 ATTACHED.

क्र.सं.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1		
2		
3		
4		
5		
	कुल क्षेत्रफल	

(ग) 1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित हो या 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित हो, जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति संलग्न करें)

(घ) मूल नक्शा, जिसमें प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल की अवस्थिति और विद्यमान भू-उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)

(ङ.) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 028534 दिनांक 27-03-18 को UCO BANK (बैंक का नाम) पर रुपये 20,000/- (रुपये Twenty Thousand Rs. मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में आहरित।
(रुपये 1000/- हेक्टेयर या उसके भाग के लिए न्यूनतम रुपये 1000/- के अधीन रहते हुए)

(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।

(छ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2- मैं/हम एतद्द्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं/करते हैं।

संलग्नक-

(1) LAND DETAILS
(2) KEY PLAN
(3) SAJRA PLAN
(4) LUCKNOW MASTER PLAN LOCATION
5) DEMAND DRAFT
6) TEHSILDAR APPROVED KHASRA DETAILS
7) REGISTRY/TRANSFER DEED

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
[signature]

हस्ताक्षर एवं दिनांक

[signature]
(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
2	1134	0.032
3	1135	0.253
4	1186	0.127
5	1203 GA	0.253
6	1204	0.886
7	1207	0.038
8	1251	9.468
9	1258 KHA	0.038
10	1363 KA	0.065
11	1299	2.406
12	1257 KHA	0.063
13	1297	0.572
14	1253	0.127
15	1252 KHA	1.521
16	1232	0.038
17	1251 KHA	0.063
18	1252 KA	1.129
19	1262	0.202
20	1258 KA	0.433
21	1259 KA	0.332
22	1260	0.025
23	1261	0.051
24	1263 KHA	0.101
25	1264	0.392
26	1265	0.066
27	1266	0.028
28	1267	0.038
29	1268	0.025
30	1298	0.266
TOTAL AREA		19.088

For U.P. ASBESTOS LTD

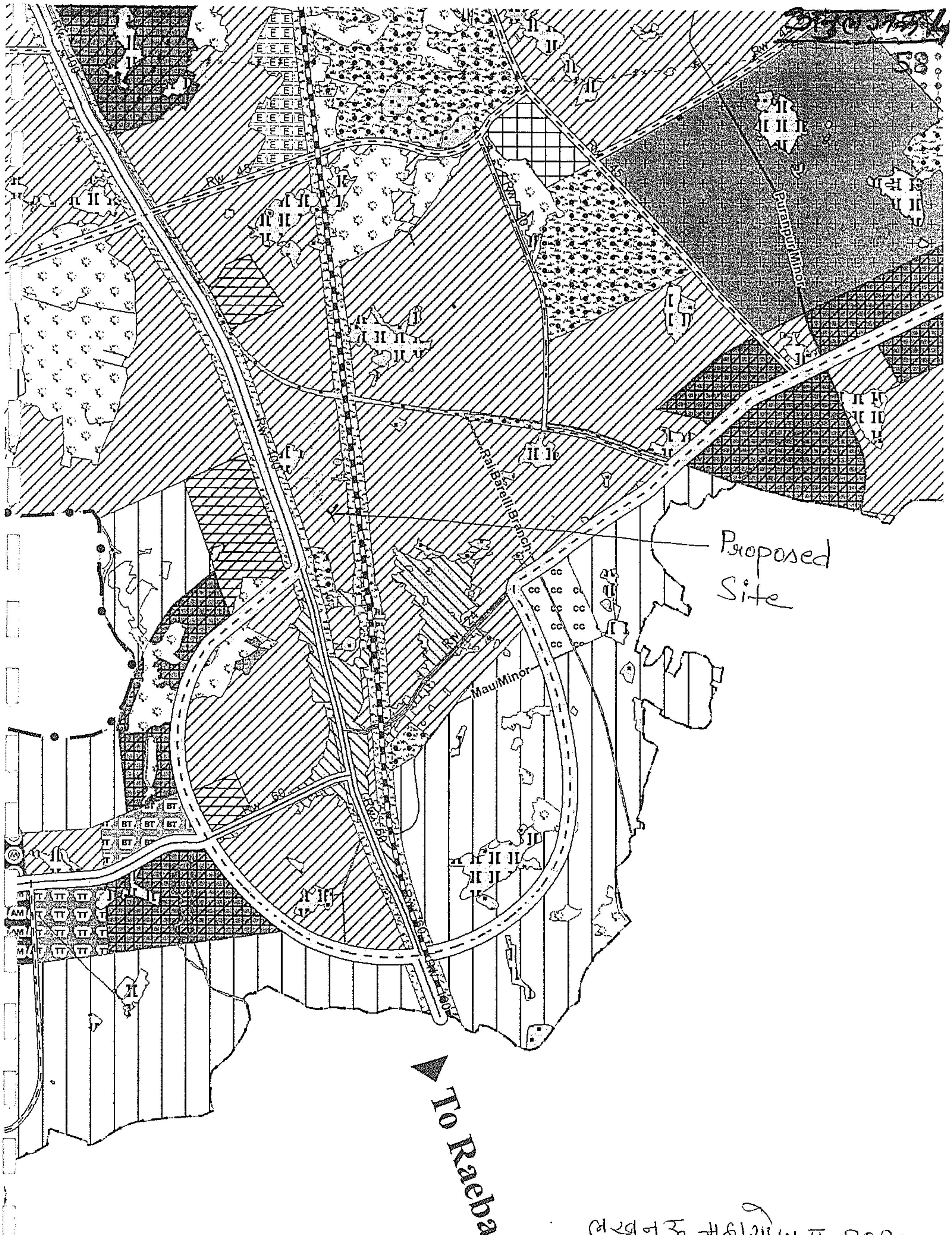

लखनऊ महायोजना-2031
पार्ट प्रति

विषय संख्याः 11

विषयः श्री सुभाष चन्द्र, लेखाकार की पत्नी श्रीमती संध्या श्रीवास्तव की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0–6,45,357.00 (रू0–छः लाख पैतालीस हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की प्रतिपूर्ति की कार्येत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

<u>प्रस्ताव</u>

श्री सुभाष चन्द्र, लेखाकार की पत्नी श्रीमती संध्या श्रीवास्तव की गम्भीर बीमारी (Pyrexia with thyrombocytopenia (NS-1+) with ascites with right sided Pneumonia with uncontrolled T2 DM) की चिकित्सा के0जी0एम0सी0, लखनऊ में प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल विभागाध्यक्ष डिपार्टमेण्ट आफ क्रिटिकल केयर द्वारा की गयी है। इनकी चिकित्सा पर रू0–6,45,357.00 व्यय हुआ है। जिसका सत्यापन सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनॉक 06.11.2015 द्वारा रू0–5.00 लाख की स्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष महोदय को प्रदान किया गया है। कार्यालय आदेश संख्याः 60/उपा0का0/09–10 दिनॉक 13.01. 2010 के प्रस्तर 04 ए के क्रमॉक 04 पर अंकित व्यवस्थानुसार श्री सुभाष चन्द्र की पत्नी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0–6,45,357.00 की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनॉक 23.01.2016 को प्रदान की गयी है तथा आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में कार्येत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं। उक्त आदेश के क्रम में चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति श्री सुभाष चन्द्र लेखाकार को कर दी गयी है। इनकी पत्नी का उपचार अभी चल रहा है।

अतः श्री सुभाष चन्द्र, लेखाकार की पत्नी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0–6,45,357.00 (रू0–छः लाख पैतालीस हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की प्रतिपूर्ति की कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

22/2/18 कनिष्ठ लिपिक

22/2/18 अनुभाग अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण

लेखाकार

14.3.18

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences

Raebareli Road, Lucknow - 226 014 ,India

सत्य 1 की

ccm - 0522 2495482 5485

Discharge Summary

). 2016977847	Name: Sandhya Srivastava 48/ Y/F	Department: Critical Care Medicine
UNIT-1	Ward/Bed: B25A01 / POP / 5	
ssion No: ADM-201653270	Admitted on: 29-12-2016 20:32	Discharged on: 03-Apr-2017 5:50 PM
nt Type: Emergency	Consultant: Afzal Azim	Discharge Type:

spond. Address: D-2/531,Jankipuram Distt. State Uttar Pradesh Pin No. 226021 Phone No +91-

old female was shifted from KGMU ICU to SGPGI CCM ICU.

Patient presented to KGMU with complaints of cough with expectoration and high grade fever in October 2016. Patient ly treated on OPD basis and since her condition worsened along with vomiting and malena she got hospitalised on 19th 2016. She was diagnosed as a case of Dengue hemorrhagic fever with polyserositis and treated accordingly. She was ed for worsening respiratory failue on 25/10/16.On 5th November patient had cardiac arrest and ROSC was achieved in 15 Patient underwent CSF analysis and MRI scan of head to investigate her poor neurological status. She got tracheostomised November. On 29/12/16 patient was shifted to SGPGI CCM ICU in view of persistent low GCS and occasional fever.

History: Known diabetic on OHA. No other significant past medical history.

ICU: (29/12/16- 3/4/17)

mission in CCM ICU she had issues of poor neurological status, grade 3 sacral bed sore and required mechanical ventilation.

· Patient's neurological status remained same (E4VtM1) and MRI was done on 2/1/17 which revealed hyperintensities in B/L anglia, thalamus suggestive of metabolic cause. Patients neurological status remained same throughout her stay.

Patient was started on tablet ramipril for hypertension after admission and then on 9/1/17 showed signs of autonomic nction (tachycardia) for which Clondine initially added, then later on converted to Metoprolol.

ient initially required mechanical ventilatory support. She developed VAP ,treated with antibiotics according to sensitivity . eostomy tube down sized (8mm)and currently on a 7mm silicone tube(last changed on 1/4/17).

Patient got PEG tube inserted on 12/1/17. On home made churned diet feeds. Current feed volume 2450ml/day.

Patient never required any renal replacement therapy during her stay . Cathetrised with Foleys Silicone tube. Urine out put litres/day.

Issues: patient developed bed sore.

E: Medications-	dose	route	time	
Tab.Thyroxine	25mcg	PEG	5am	
Tab Levipil	500mg	PEG	10am -	10pm
Tab Metaprolol	25 mg	PEG	10am -	10pm
Syp Cremaffin	20ml	PEG	10pm	
Tab.Aspirin 75 mg OD / Syp. KCl 15 ml				

ieral care:

Patient should be nursed in a bed with head end of bed elevated 30-45

Airmattress to be used

Patient position Right Up/ left up to be changed every 2-3 hours

Oral care

BED HAS NOT BEEN VACATED FROM SYSTEM

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
Raebareli Road, Lucknow - 226 014 ,India

Discharge Summary

NO: 2016977847 Name: Sandhya Srivastava 48/ Y/F Department: Critical Care Medicine

Eye care
Limb physio/passive movement of all joints
Tracheostomy tube suctioning to be done as taught
EMERGENCY ccm NUMBERS\: 0522249-5485,5482
Follow up with ENT department at KGMC
uipments to be readily available
AMBU bag
Suction pump/suction catheter
Oxygen cylinder/
Tracheostomy tube/Syringe

S. electrolytes (Na/K) every 3 days for initial 2 weeks

VESTIGATION RESULTS:

2016-12-29 20:55:59.417	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-01 09:38:44.834	CR X Ray Chest Bed Side
017-01-02 13:21:33.819	MRI Head
2017-01-02 17:08:44.97	MRI Contrast 10 ML
017-01-04 06:19:09.515	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-05 07:18:55.228	CR X Ray Chest Bed Side
017-01-06 08:34:35.089	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-09 11:52:57.825	PEG
017-01-11 08:26:40.362	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-13 08:28:46.546	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-13 16:22:50.792	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-16 08:26:58.516	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-20 06:34:24.231	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-23 13:48:17.379	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-24 07:04:55.499	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-26 08:37:23.87	CR X Ray Chest Bed Side
2017-01-27 08:36:30.152	CR X Ray Chest Bed Side
2017-02-05 08:32:42.932	CR X Ray Chest Bed Side
2017-02-11 08:35:52.618	CR X Ray Chest Bed Side
2017-02-16 09:20:10.096	CR X Ray Chest Bed Side
2017-02-18 08:33:40.116	CR X Ray Chest Bed Side

BED HAS NOT BEEN VACATED FROM SYSTEM

MICU
MEDICINE

→ SGPGI / HIGHER CENTRE.

King George Medical University, U.P., Lucknow
G.M. & Associated Hospitals

TRANSFER SUMMARY

Department of MEDICINE

OPERATION RECORD

Name SANDHYA SRIVASTAVA Ward MICU Bed No. 02 Date 29/12/11

Surgeon 48YR/F

Anaesthetist

Operation

CR: - C/I MEDICINE ICU PGI.

R/E: - DR. AVINANSU AGRAWAL MD IDCC IFCCM.

Sir

The above mentioned patient is admitted toounder as a case of Pyrexia with thrombocytopenia c NS-1 +ve in serum.

At present patient is in E₂V₁M₆ state, after 2 months of admission.

The patient is refer to higher centre on attendent persistant request.

Regards

SR MEDICINE

Any special Remark

विषयः– आश्रयहीन भवन सेक्टर–एच, बसन्तकुंज हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.20116 के प्रस्ताव संख्या–14 पर लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार कर प्राधिकरण के वैध आवंटियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में –

आश्रयहीन भवन सेक्टर–एच, बसन्तकुंज हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत वर्ष–2001–2002 एवं 2006–2007 में 1006 भवनों का निर्माण कराया गया था, जिन्हें शहर के गरीब एवं विस्थापित वर्ग के लोगों को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव था। प्रश्नगत योजना में कुल 1006 भवन निर्मित किये गये थे। भवनों के आवंटन उपरान्त अदायगी 18 वर्षों के अवधि की है, उक्त योजना स्थानीय किसानों द्वारा विरोध स्वरूप चलाये जा रहे आन्दोलन के समय स्थानीय स्तर के कुछ अराजक तत्वों द्वारा फर्जी/नकली अभिलेख कूटरचित ढंग से तैयार किया गया पूर्णतया संदिग्ध अवैध अध्यासितों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इन अवैध अध्यासित कब्जेदारों का वर्ष 2011 में प्राधिकरण द्वारा सर्वे अनुसार 308 भवनों पर प्राधिकरण की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की स्थिति में अवैध अध्यासितों से प्राप्त प्रपत्रों की पुष्टि/सत्यापन कराते हुए थाना ठाकुरगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.09.11 में अंकित करायी गयी थी। 308 अवैध अध्यासितों के पक्ष मे वर्तमान मूल्य लेते हुए विनियमितिकरण किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर से लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रस्तुत प्रस्ताव को तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 06.08.2012 को प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति उपरान्त दिनांक 31.08.2012 के कार्यवृत्त के विषय संख्या–34 पर बसन्तकुंज आश्रयहीन योजना के अन्तर्गत अवैध रूप से अध्यासित 308 व्यक्तियों को वर्तमान दर पर भवन आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि "सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत कब्जे हेतु जिम्मेदार कर्मियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के उपरान्त विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।"

प्रश्नगत योजना में निर्मित 1006 भवनों में वर्ष 2011 में किये गये स्थलीय सर्वे में 308 भवनों में अवैध अध्यासित कब्जेदार पाये गये थे। तद्समय में काबिज पाये गये अवैध अध्यासित कब्जेदार वर्तमान में काबिज हैं अथवा नही की सूची के साथ ही सर्वे जॉच रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016 एवं दिनांक 06.10.2016 में निर्मित 1006 भवनों में से अनुबंधित एवं निबन्धित मूल आवंटियों को कब्जा दिये जा चुके 176 भवनों को छोड़कर शेष 830 भवनों पर अवैध कब्जेदारों का कब्जा है और इनमें से 470 अवैध अध्यासियों द्वारा उक्त भवनों मे अवैध

राजेन्द्र प्रसाद
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(राम शंकर)
तहसीलदार/सं०अधि०
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अतिरिक्त निर्माण भी करा लिया गया है। मूल आवंटियों के पक्ष में अनुबंधित एवं निबन्धित 05 भवनों में भी अवैध अध्यासित कब्जेदार काबिज हैं, जिसकी सूची पत्रावली में संलग्न अवलोकनीय है।

पुनः प्राधिकरण बोर्ड की 159वीं बैठक दिनांक 24.10.2016 में प्रस्तुत प्रस्ताव के कार्यवृत्त के विषय संख्या–14 पर बसन्तकुंज आश्रयहीन योजना के अन्तर्गत अवैध रूप से अध्यासित 308 व्यक्तियों को वर्तमान दर पर भवन आवंटन/विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि " सम्यक विचारोपरान्त गठित समिति की संस्तुतियों के दृष्टिगत कुल 1006 भवनों में निवासित अवैध अध्यासितों को वर्तमान मूल्य पर विनियमित किये जाने तथा अवशेष 491 मूल आवंटी/इच्छुक आवंटियों हेतु अलग से भवन निर्माण कर उनको प्राथमिकता पर भवन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय में रिट संख्या–3962/2018 दिनेश मिश्रा द्वारा योजित की गयी, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2018 को आदेश पारित किये गये हैं– "The basis of claiming relief No.2 is a decision of the Board of the Lucknow Development Authority as reflected in the communication dated 16.11.2016 of the Additional Secretary, Lucknow Development Authority (Annexure-7 to the writ petition). A perusal of the said communication indicates that the illegal occupants in possession of residential quarters under the Ashayheen Basant Kunj Yojnaat Hardoi Road are to be extended the benefit of the decision of the Board dated 24.10.2016, whereby it has been decided that such illegal possession may be 1,006 illegal occupants for whom such decision has been taken."

We are unable to comprehend as to under what circumstance and for what reasons, the Board of the Lucknow Development Authority has taken this decision to regularize the possession of the illegal occupants under a scheme make for shelter-less and homeless persons and instead of providing it to the persons of such category, persons like the petitioner have illegally enterd possession on the basis of some forged and fabricated documents and now they are pressing for their regularization of such illegal possession. The very purpose of raising constructions under the Scheme of Ashrayheen Basant Kunj Yojna at Hardoi Road for the shelter-less and home-less appears to be frustrated.

We accoudingly require Sri Tiwari, learned Counsel representing Lucknow Development Authority to obtain instructions and file an affidavit of the Vice-Chairman, Lucknow Development Authority within two weeks placing on record the material on the basis of which ths regularization decision has been taken.

अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(शुभ शंकर)
सहायक अभियंता,
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(विजय भूषण मिश्र)

उक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण पैनल में नियुक्त श्री रत्नेश चन्द्रा अधिवक्ता महोदय द्वारा उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2018 के क्रम में दी गयी बहुमूल्य राय " I may indicate that the last 3 paragraphs of the order dated 09.02.2018 passed by this Hon'ble Court already reflects displeasure of the Hon'ble Court as indicated above. Under such circumstances, in my opinion it would be appropriate that the matter may again be placed before the board for reconsiderating the decision dated 24.10.2016 along with the observation made in order dated 09-02-2018.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 09.02.2018 के क्रम में तथा प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री रत्नेश चन्द्रा द्वारा दी गयी राय दिनांक 25.02.2018 के क्रम में तथा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 26.02.2018 के क्रम में उचित होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की 159वीं की बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में दिये गये निर्णय का पुनःविचार हेतु पुनः प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाना उचित है। उक्त याचिका मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उपाध्यक्ष महोदय की ओर से मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जा चुका है कि आगामी बोर्ड बैठक में पूर्व बोर्ड बैठक के निर्णय दिनांक 24.10.2016 पर पुनः विचार–विमर्श हेतु रखा जायेगा।

अतः बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 को लिये गये निर्णय के क्रम में याची दिनेश मिश्रा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–3962/एम0बी0/2017 दिनेश मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य समक्ष मा0 उच्च न्यायालय बाबत भवन संख्या–एस–2/148 सेक्टर–एच, बसन्तकुंज हरदोई रोड में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा आश्रयहीन बसन्तकुंज हरदोई रोड योजना के मूल आवंटियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर किये जा रहे विरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेश की दृष्टिगत प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 के प्रस्ताव संख्या–14 पर लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार कर प्राधिकरण के वैध (मूल) आवंटियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उक्त निर्णय को निरस्त करने का प्रस्ताव आगामी प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(रामजीवन) (राजेन्द्र प्रसाद) अनुभाग अधिकारी

(... शंकर) तहसीलदार/सं0अधि0 लखनऊ विकास प्राधिकरण

06/03/18 (विश्व भूषण मिश्र)

07/3/18

विषयः– विकास प्राधिकरणों में समूह ग एंव घ (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रश्नगत विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2017 में विषय संख्या–05 पर प्रस्तुत किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि विनियनितीकरण नियमावली 2016 से प्रभावित कार्मिको के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाय। तदक्रम में अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्ष 2018 तक दैनिक वेतन भोगी 01, वर्कचार्ज के 44 एवं संविदा के 18 कर्मचारी (01 कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त वर्तमान में 17 कर्मचारी) कार्यरत है।

विनियमितीकरण नियमावली 2016 जो अधिसूचना संख्या–9/2016/2/1/97/का–2/2016 लखनऊ दिनांक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा जारी है (नियमावली की छायाप्रति संलग्न हैं) उक्त नियमावली के बिन्दु संख्या–6(1) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, किसी व्यक्ति को (एक) जो किसी सरकारी विभाग में 31 दिसम्बर 2001 को या उससे पूर्व समूह "ग" या समूह "घ" के पद पर (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) पर दैनिक वेतन/मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर सीधे लगा हुआ या नियोजित या अभियोजित या कार्य कर रहा हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ नियोजित या अभियोजित का कार्य कर रहा हो।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश अ0शा0प0सं0–676/आठ–10–17–121ई/2014 आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–10 उत्तर प्रदेश शासन दिनांक–01 जनवरी 2018 द्वारा यह अनुरोध किया गया कि विकास प्राधिकरणों में समूह ग एंव घ (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 को अंगीकृत करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराकर संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

तदक्रम में उपरोक्त कार्मिको में से दिनांक 31.12.2001 तक के नियुक्त समूह–'ग' एवं 'घ' के वर्कचार्ज पर 38 एवं संविदा पर 06 कर्मचारी कार्यरत है।

तद्नुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात 38 वर्कचार्ज एवं 06 मृतक आश्रित संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा प्राख्यापित उ0प्र0 (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ग एंव घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार पर कार्यरत या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 को अंगीकृत करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

(अनिल कुमार शुक्ला)
अनुभाग अधिकारी
ल0वि0प्रा0

03.5.18

विषय सं0: 14 पृष्ठ सं0– 67

विषय –प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम–बिजनौर की 11.2 हे0 आवासीय एवं 5.6 हे0 भूमि पर एस0टी0पी0 भू–उपयोग दर्शित कराने एवं इसके साथ ही ग्राम–बिजनौर की अवशेष भूमि एवं ग्राम–रसूलपुर इथुरिया का भू–उपयोग के निर्धारण हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को अभिकरण नामित किये जाने एवं वैभव खण्ड, गोमती नगर (नेहरू इन्क्लेव) के भूखण्डों को ग्राम–बिजनौर की उक्त योजना शारदानगर विस्तार, सेक्टर–1 में समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या :

लखनऊ विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु लखनऊ महायोजना–2031 उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार कराकर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 को अनुमोदन प्रदान किया गया, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को शासन द्वारा स्वीकृत एवं दिनांक 21. 12.2016 से प्रभावी है। लखनऊ महायोजना–2031 मानचित्र एतद् प्रस्ताव के साथ अवलोकनार्थ सुलभ संदर्भ हेतु **अनुलग्नक–1** पर संलग्न है। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–273/ आठ–10–17–1गठन/2004, दिनांक 21 अगस्त, 2017 द्वारा 177 ग्रामों की अधिसूचना जारी की गयी है।

शासनादेश सं0–1504(1)/8–3–16–208 विविध/2011 दिनांक 19.12.2016 द्वारा स्वीकृत लखनऊ महायोजना–2031 में लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र (लीडा) लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है। तत्समय ग्राम–बिजनौर एवं रसूलपुर इथुरिया लखनऊ औद्योगिक विकास क्षेत्र (लीडा) के अन्तर्गत होने के कारण लखनऊ महायोजना–2031 में उक्त दो ग्रामों का भू–उपयोग निर्धारित नहीं किया गया था। अधिसूचना सं0–273/आठ–10–17गठन/2004, दिनांक 21.08.2017 के अनुसार उक्त दोनो ग्राम–बिजनौर एवं रसूलपुर इथुरिया लीडा से अवमुक्त हैं।

प्राधिकरण द्वारा ग्राम–बिजनौर में अर्जित भूमि क्षेत्रफल 17.5475 हे0 भूमि के अनुसार संरक्षित बाउण्ड्रीवाल के अन्तर्गत क्षेत्रफल 16.8 हे0 है। अभियन्त्रण खण्ड के अनुसार सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) के निर्माण हेतु लगभग क्षेत्रफल 5.6 हे0 भूमि प्रस्तावित की गयी है जोकि भविष्य की आवश्यकताओं तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) के निर्माण में आधुनिक तकनीकी के दृष्टिगत पर्याप्त है। कुल योजना क्षेत्रफल 16.8 हे0 मे से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत चार मंजिला भवन हेतु 5.95 हे0 भूमि और अल्प आय वर्ग, मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के भूखण्डों हेतु 5.25 हे0 भूमि सम्मिलित करते हुए आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 11.2 हे0 है। 5.6 हे0 भूमि पर एस0टी0पी0 हेतु प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के दृष्टिगत व लखनऊ महायोजना–2031 में भू–उपयोग निर्धारित न होने के कारण ग्राम–बिजनौर में प्रस्तावित योजना का ले–आउट का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड की प्रत्याशा में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 05.04.2018 को प्रदान किया गया है।

अतः अधिसूचना सं0–273/आठ–10–17गठन/2004, दिनांक 21.08.2017 के क्रम में लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम–बिजनौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 5.95 हे0 भूमि और अल्प आय वर्ग, मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के भूखण्डों हेतु 5.25 हे0 भूमि को सम्मिलित करते हुए आवासीय का कुल क्षेत्रफल 11.2 हे0 एवं 5.6 हे0 भूमि पर एस0टी0पी0, ले–आउट प्लान (संलग्नक–2) के अनुसार भू–उपयोग निर्धारित करने एवं ग्राम–बिजनौर की अवशेष भूमि तथा ग्राम–रसूलपुर इथुरिया के भू–उपयोग के निर्धारण हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को अभिकरण नामित किया जाना प्रस्तावित है।

यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा संचालित गोमतीनगर योजना के अन्तर्गत वैभव खण्ड (नेहरू इन्क्लेव) में निम्नानुसार भूखण्डों का नियोजन किया गया :–

क्रम सं0	भूखण्ड का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	भूखण्डों की संख्या	मूल्य
1	श्रेणी–सी–1	200	173	1,90,000.00
2	श्रेणी–सी–2	115	128	1,09,250.00
3	श्रेणी–सी–3	90	230	85,500,00
कुल योग			531	

उपरोक्त भूखण्डों के आवंटन हेतु दिनांक 01.02.1991 से 05.03.1991 तक भूखण्डों का पंजीकरण खोला गया था। भूखण्डों के आवंटन हेतु दिनांक 05.07.1993 को लाटरी सम्पादित हुई। आवंटित भूखण्डों का विक्रय मूल्य दिनांक 20.01.1994 तक आवंटियों से मांगा गया था, जिसमें अधिकांश आवंटियों द्वारा विक्रय मूल्य वर्ष 1994 में जमा किया गया था। धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त विकास कार्य पूर्ण कर भूखण्डों का निबन्धन एवं कब्जे की कार्यवाही विगत एक वर्ष में पूर्ण की जानी थी।

इस योजना में विकास कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही माह सितम्बर 1994 में सेना द्वारा बिना किसी सूचना के भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उत्पन्न कर योजना की भूमि पर अपना कब्जा कर लिया गया, जिससे प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों का विकास नहीं कर सका और न ही आवंटियों को निबंधन/कब्जा दे सका। कालान्तर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–3639/एम0बी0/1999 दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2002 को अन्तिम आदेश पारित कर फ्लैटों का कब्जा/विक्रय की अनुमति प्रदान की गयी, जिसके विरोध में भारतीय सेना द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गयी। उक्त विशेष अनुमति याचिका माह नवम्बर 2000 में निरस्त कर दी गयी। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च में योजित रिट याचिका 3639/एम0बी0/1999 भूखण्डों के स्वामित्व सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन है। प्रश्नगत वाद में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत कर बहस पूर्ण की जा चुकी है, परन्तु प्रकरण का समाधान अभी भी नहीं हो सका है।

आवंटियों द्वारा धनराशि जमा किये जाने के बाद भूखण्डों की रजिस्ट्री एवं कब्जा में हो रहे विलम्ब को देखते हुए प्राधिकरण बोर्ड की बैठक 138 दिनांक 13.08.2009 द्वारा योजना को निरस्त करते हुए आवंटियों की जमा धनराशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस किये जाने का निर्णय लिया गया था। प्राधिकरण बोर्ड के आदेशों का अनुपालन में आवंटियों की जमा धनराशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस की गयी। उक्त योजना निरस्त किये जाने के फलस्वरूप आवंटियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समस्त रिट याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करते हुए रिट याचिका संख्या–4413/एम0बी0/2011 अमर कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2013 में आदेश पारित किये गये, जो निम्नवत है :–

"Accordingly, a writ in the nature of mandamus is issued directing Lucknow Development Authority, Lucknow to allot the alternative flats/plots to the petitioners in terms of original agreement and information brochure and the costs deposited by them without charging any additional costs for the purchase of land. It shall be open to the petitioners to move fresh applications within a month from today and thereafter Lucknow Development Authority shall deliver possession of the plots/flats expeditiously, say within a period of four months. Keeping in view of the law laid down in the case of Ganesh Prasad (Supra),

petitioners shall be also entitled for interest on the amount which they have deposited in the years 1991-94. For that, we leave it for open the petitioners to move applications for payment of interest on the amounts deposited by them in the light of 5 Judgement of Ganesh Prasad's case (Supra). In case any application is moved by the petitioners, the same shall be considered by the Lucknow Development Authority."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2013 के विरूद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या–13830–1354/2014 योजित की गयी। उक्त एस0एल0पी0 में नियुक्त अधिवक्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिवकताओं की राय के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में प्रतिशपथपत्र दाखिल कर दिनांक 18.10.2016 को एस0एल0पी0 को वापस ले लिया गया। एस0एल0पी0 वापस लिये जाने के फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.2013 का अनुपालन किया जाना ही मात्र एक विकल्प है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने के कारण आवंटियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरूद्ध अवमानना वाद मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वैभव खण्ड (नेहरू इन्क्लेव) योजना के आवंटियों को शारदानगर विस्तार योजना से0–1 में उपलब्ध भूमि पर तैयार ले–आउट प्लान एवं आवंटियों को भूखण्ड समायोजित किये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। प्रथम चरण (ले–आउट) में उपलब्ध श्रेणीवार भूखण्डों की संख्या निम्नवत है :–

क्रम सं0	भूखण्ड का प्रकार	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	भूखण्डों की संख्या
1	श्रेणी–सी–1	200	28
2	श्रेणी–सी–2	115	22
3	श्रेणी–सी–3	90	18
कुल योग			68

<u>प्रस्ताव</u>

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम–बिजनौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 5.95 हे0 भूमि और अल्प आय वर्ग, मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के भूखण्डों हेतु 5.25 हे0 भूमि को सम्मिलित करते हुए आवासीय का कुल क्षेत्रफल 11.2 हे0 एवं 5.6 हे0 भूमि पर एस0टी0पी0 संलग्न ले–आउट प्लान के अनुसार भू–उपयोग निर्धारित करने एवं ग्राम–बिजनौर की अवशेष भूमि तथा ग्राम–रसूलपुर इथुरिया के भू–उपयोग के निर्धारण हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को अभिकरण नामित किये जाने तथा गोमतीनगर योजना के अन्तर्गत वैभव खण्ड (नेहरू इन्क्लेव) के भूखण्डों की योजना समाप्त किये जाने के विरूद्ध आवंटियों द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने के आदेशों के अनुपालनार्थ एवं उपलब्धता के आधार पर शारदानगर विस्तार योजना सेक्टर–1 के ले–आउट प्लान में आवंटियों को भूखण्ड समायोजित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

70

लखनऊ महायोजना–2031

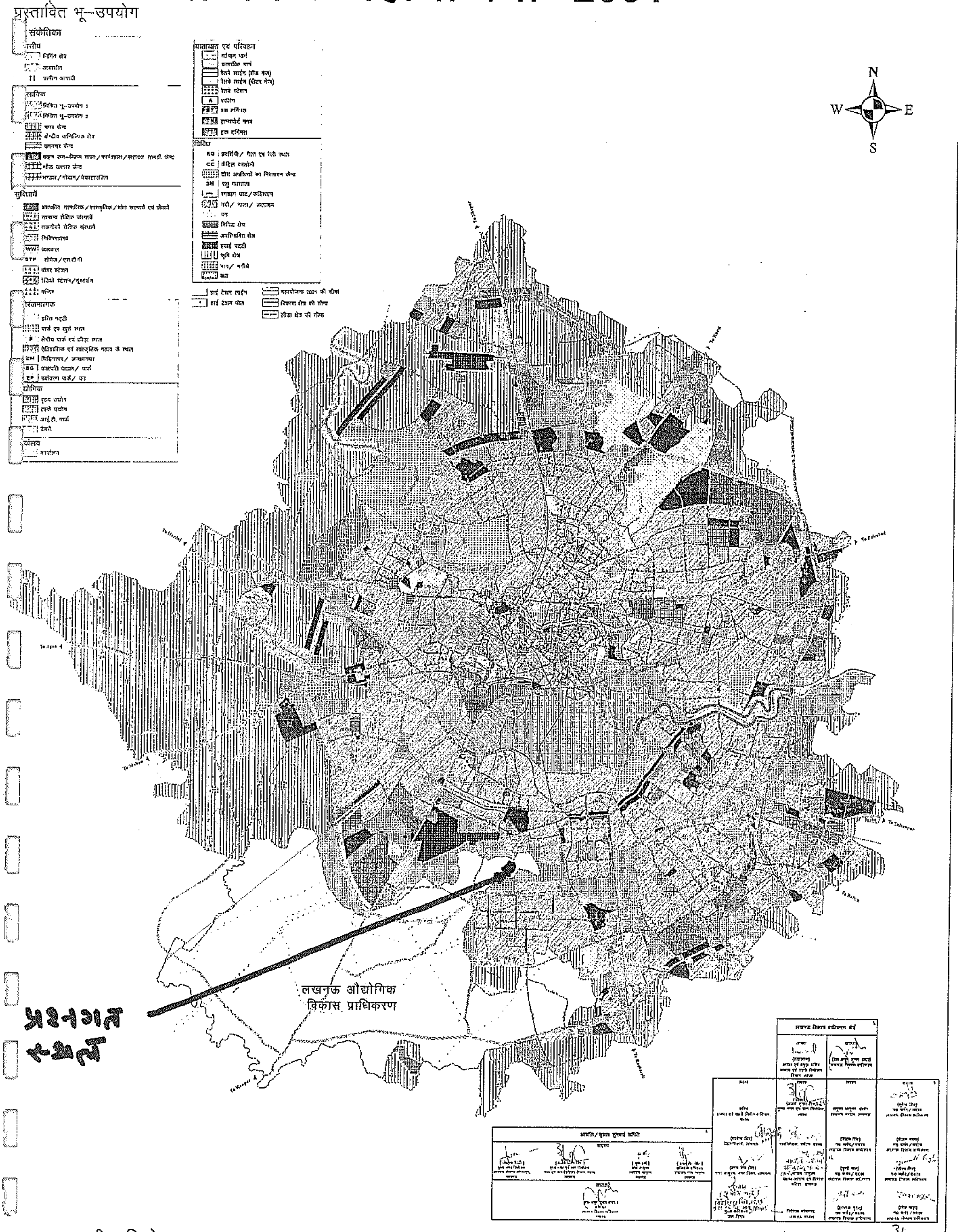

सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0

71

PROPOSED LAYOUT PLAN OF SHARDA NAGAR EXT. SCHEME, LUCKNOW.

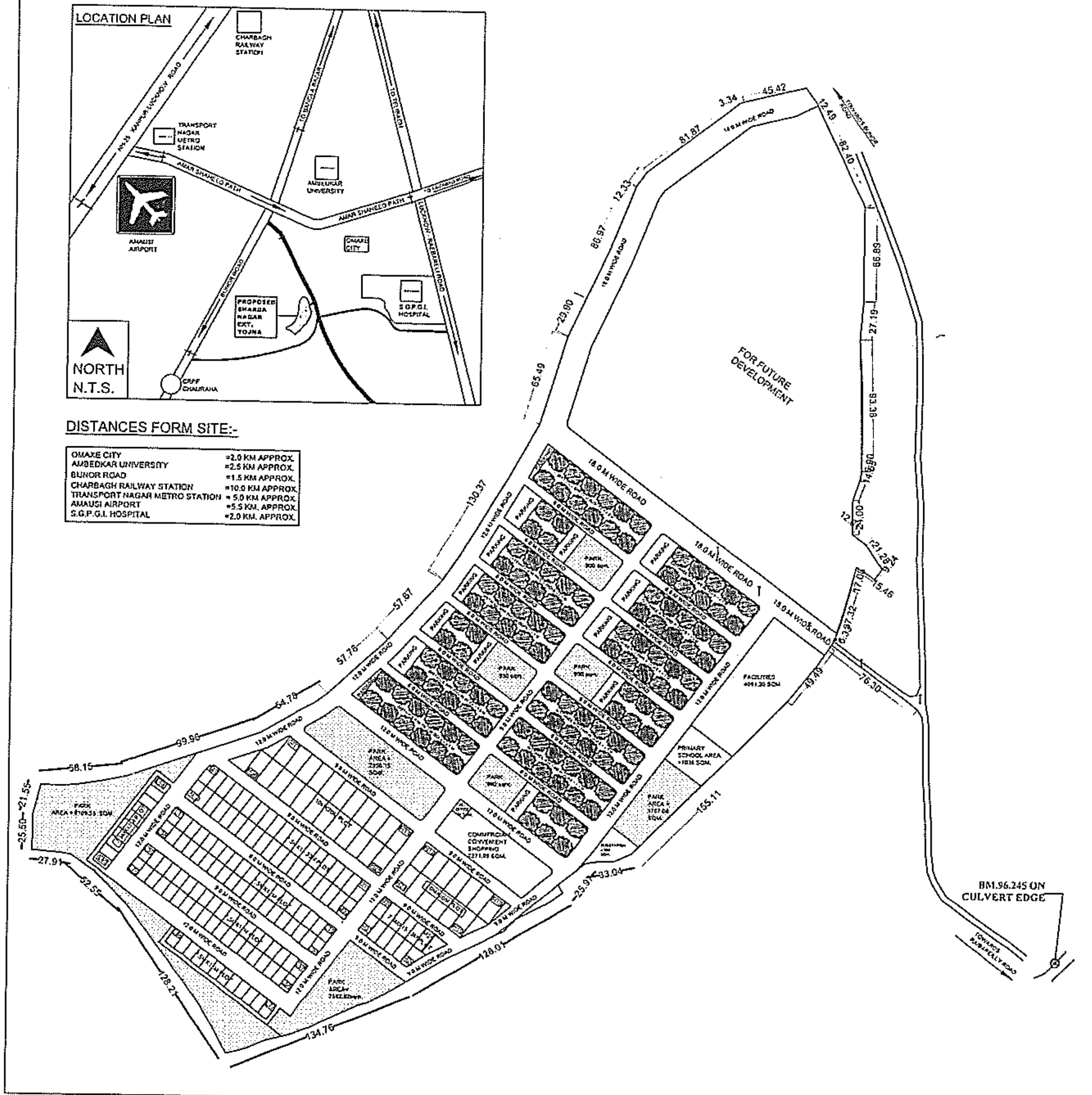

DETAIL OF PLOTS & PMAY FLATS -:

S.N.	PARTICULARS AREA (IN SQ.MT)	NOS.
1.	TOTAL EWS PMAY BLOCKS	128
2.	ONE BLOCK UNIT	016
3.	TOTAL EWS PMAY UNITS	2048
4.	HIG PLOTS (10.00 M. X 20.00=200.00 SQ.MT.)	036
5.	MIG PLOTS (07.50 M. X 15.33)=115.00 SQ.MT.)	050
6.	LIG PLOTS (07.50 M. X 12.00)=090.00 SQ.MT.)	098

AREA STATEMENT -:

S.N.	PARTICULARS	AREA (IN SQ.MT)	PER(%)
1.	TOTAL AREA OF LAND	168000.00 SQ.MT.	
2.	AREA FOR STP	56000.00 SQ.MT.	
3.	NET AREA OF SCHEME	112000.00 SQ.MT.	
4.	AREA FOR EWS FLATS (PMAY)	25358.00 SQ.MT.	22.65%
5.	AREA OF RES. PLOTS	22162.47 SQ.MT.	19.79%
6.	AREA OF PRIMARY SCHOOL	1038.00 SQ.MT.	00.93%
7.	AREA OF INTER COLLEGE	4091.20 SQ.MT.	03.65%
8.	AREA OF CONVENIENT SHOPPING	2271.09 SQ.MT.	02.03%
9.	AREA OF POST OFFICE	0100.00 SQ.MT.	00.09%
10.	AREA OF SUB STATION	0503.00 SQ.MT.	00.45%
11.	AREA OF GREEN/PARK	16866.00 SQ.MT.	15.05%
12.	AREA UNDER ROAD	39610.24 SQ.MT.	35.37%
			100.00%

NOTE :-

1. THIS LAYOUT HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF REPORT GIVEN BY E.E.-2 ON DATED 02.04.2018
2. THIS LAYOUT HAS BEEN PREPARED FOR SITE VERFICATION ONLY.

TENTATIVE

DATE - 04 APR, 2018

DRG. NO.- PLP/SH. EXT./LKO

SCALE :

EXECUTION TEAM	PLANNING TEAM
J.E. 5/4/18	T.P. SINGH T.P.
A.E. 5/4/18	R.G. SINGH C.T.P.
E.E.	PRABHU N. SINGH V.C. 5/4/18

विषयः-लखनऊ विकास प्राधिकरण के 15 से 19 वर्ष पुराने 03 अद्द हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं पूर्व में निष्प्रयोज्य घोषित किये जा चुके 11 हल्के वाहनों के स्थान पर 06 अद्द नये विद्युत चालित हल्के वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

पिछले कई दशकों से लखनऊ में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लखनऊ शहर प्रदूषण के कारण विभिन्न रोगों की चपेट में आ रहा है। साथ ही डीजल व पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से भी जन-सामान्य परेशान हो रहा है एवं विदेशी मुद्रा का भी अत्यधिक मात्रा में क्षरण हो रहा है।

उक्त समस्याओं के निवारण हेतु एक ऐसी कार की कल्पना की गई है, जो बिजली से चले, पेट्रोल पम्प के स्थान पर बैट्री चार्ज करने के लिए एक छोटे चार्जिंग प्वाइंट की आवश्यकता होगी। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों का प्रयोग नितान्त आवश्यक है। इलेक्ट्रिक कारें बहुत ही साधारण तकनीक पर आधारित होती है।

विद्युत चालित वाहन पर्यावरण हेतु लाभकारी, इको फ्रेंडली एवं प्रदूषण मुक्त होते है। विद्युत चालित वाहन प्रयोग किये जाने से वाहनों पर अनुरक्षण व्यय एवं ईंधन पर होने वाला व्यय तुलनात्मक रूप से कम आयेगा।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 से 2016 तक 22 वाहन निष्प्रयोज्य घोषित किये जा चुके है तथा उनके सापेक्ष मात्र 11 हल्के वाहन क्रय किये गये है।

<u>प्रस्तावः-</u>

"निष्प्रयोज्य घोषित किये जा चुके 11 वाहनों के सापेक्ष अभी कोई वाहन क्रय नहीं किये गये है, अतः पूर्व में निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के स्थान पर 06 अदद् विद्युत चालित हल्के वाहन क्रय किये जाने एवं 03 अदद् हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।"

अ०अ० (वि./यां.)

अशोक पाल सिंह
व्यवस्थाधिकारी प्रशासन
ल०वि०प्रा०

03.5.18
(डा० महेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

वर्तमान में प्रस्तावित निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने वाले हल्के वाहनों की सूची।

क0 सं0	वाहन संख्या	माडल नम्बर	व्यय	कब से कब तक	चली गई दूरी	वर्तमान मूल्य	आरक्षित न्यूनतम नीलामी मूल्य का 10 प्रतिशत
1.	UP 32 AB 7777, Amb	1999	244869.00	2013 से 2017	256680 किमी0	519577.00	51958.00
2.	UP 32 AU 0101, Amb	2003	319539.00	2013 से 2017	210000 किमी0	519577.00	51958.00
3.	UP 32 AP 5555, Amb	2002	328970.00	2013 से 2017	224400 किमी0	519577.0	51958.00

के.डी. पाण्डेय
अवर अभि० (वि./यां.)
ल०वि०प्रा०

अशोक पाल सिंह
व्यवस्थाधिकारी प्रशासन
ल०वि०प्रा०

पूर्व में घोषित निष्प्रयोज्य विभागीय हल्के वाहनो की सूची।

क्र० सं०	वाहन संख्या	वाहन
1.	UP32 J 6363	जीप
2.	VML 5343	जिप्सी
3.	UP32 J 3776	जिप्सी
4.	UP32 J 3778	अम्बेस्डर
5.	UP32 J 6107	अम्बेस्डर
6.	UV 32 J 3510	अम्बेस्डर
7.	UP32 J 5555	अम्बेस्डर
8.	UP32 L 4994	अम्बेस्डर
9.	UP32 J 8907	अम्बेस्डर
10.	UP32 J 3774	जिप्सी
11.	UP32 J 6000	अम्बेस्डर
12.	UP32 R 6666	अम्बेस्डर
13.	UP32 R 3635	अम्बेस्डर

के.डी. पाण्डेय
अवर अभि० (वि./यॉ.)
ल०वि०प्रा०

अशोक पाल सिंह
व्यवस्थाधिकारी प्रशा०
ल०वि०प्रा०

विषय: चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु भूमि क्रय किए जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में।

आख्या:–

राज्य के एयरपोर्ट से सम्बन्धित भूमि सम्बन्धी प्रकरणों/समस्याओं के समाधान हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2018 के निर्णयों सम्बन्धी प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 304/छप्पन–2018–8/13 दिनांक 12 फरवरी, 2018 द्वारा जारी निर्देश (संलग्नक–1) के अनुपालन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये MASTER PLAN AT LUCKNOW AIRPORT में दर्शित तीन स्थलों (संलग्नक–2) की स्थलीय मापें करायी गयी जिसके क्रमांक–1 (ट्रांसमिशन स्टेशन) की भूमि का क्षेत्रफल 8.80 एकड़ अंकित है, स्थलीय माप के पश्चात् कुल क्षेत्रफल लगभग 8.40 एकड़ है। क्रमांक–02 पर (शहीद पथ के बांयी ओर) चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल 2.90 एकड़ अंकित है, स्थलीय माप के अनुसार लगभग 1.95 एकड़ तथा कानपुर रोड से सटी भूमि के स्थलीय माप के पश्चात् 21.00 एकड़ के स्थान पर 23.10 एकड़ पायी गयी। उपरोक्त भूमि की जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 15.12.2015 को जारी भूमि दर के आधार पर भूमि लागत की गणना की गयी, जिसका स्थलवार विवरण निम्नवत् है:–

1. कानपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे ग्राम बेहसा के अन्तर्गत चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 33992.00 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 15.12.2015 को जारी विकसित भूमि दर के आधार पर होने वाले विकास व्यय को समायोजित करने के उपरान्त भूमि का मूल्य रू0 6169.74 लाख आंकलित किया गया।
2. कानपुर रोड योजना व शहीद पथ के किनारे ग्राम बेहसा के अन्तर्गत चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 7900.00 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी विकसित भूमि दर के आधार पर होने वाले विकास व्यय को समायोजित करने के उपरान्त भूमि का मूल्य रू0 1505.28 लाख आंकलित किया गया।
3. कानपुर रोड के समानान्तर ग्राम–चिल्लांवा के अन्तर्गत चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 93,487.00 वर्ग मीटर है। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि के स्थलीय स्थिति के अनुसार फनल जोन में होने के कारण अनुमन्य एफ0ए0आर0 का उपयोग नही किया जा सकेगा। अतः जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपरोक्त दोनो वर्णित विकसित भूमि दर के आधार पर होने वाले विकास व्यय का समायोजन करने के उपरान्त भूमि का मूल्य रू0 16,805.64 लाख आकलित किया गया।

इस प्रकार तीनों स्थलों की भूमि का कुल मूल्य रू. 24,480.66 लाख आकलित करते हुए (संलग्नक–3) निर्देशानुसार उक्त से प्रमुख सचिव, नागरिक

EE

उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या–1226/सचिव/अ.अ.–2/18 दि0 06.03.2018 द्वारा अवगत कराया गया (संलग्नक–4) तथा निदेशक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से उपरोक्त वर्णित भूमि के विक्रय हेतु सहमति पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र संख्याः 1249/उपा0/अ.अ.–2/18 दिनांक 13 मार्च 2018 द्वारा अनुरोध भी किया गया। (संलग्नक–5)

इस प्रकरण में चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु भूमि क्रय किए जाने विषयक विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–20/2018/536/छप्पन–2018–08/13 टी0सी0 दिनांक 17.03.2018 (संलग्नक–6) द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2018 में यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा monetization हेतु चिन्हित अपनी भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाए तथा इस भूमि की आंकलित वैल्यू लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे जिलाधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध करा दी जाए। साथ ही मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ली जाने वाली भूमि की रजिस्ट्री हेतु आंकलित स्टाम्प शुल्क से लखनऊ विकास प्राधिकरण को छूट प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क (जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त है) के बिना ही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की कार्यवाही करने की अनुमति भी प्रदान की गई।

लखनऊ महायोजना–2031 में उपरोक्त वर्णित ग्राम–बेहसा एवं चिल्लांवा की कुल भूमि 135379.00 वर्गमी0 का स्वामित्व विकास प्राधिकरण के हित में होने के उपरान्त भू–उपयोग हवाई पट्टी से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर निस्तारण करते हुए शासन से भू–उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

लखनऊ महायोजना–2031 में उपरोक्त वर्णित ग्राम–बेहसा एवं चिल्लांवा की कुल भूमि 135379.00 वर्गमी0 का स्वामित्व विकास प्राधिकरण के हित में होने के उपरान्त भू–उपयोग हवाई पट्टी से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर निस्तारण करते हुए शासन से भू–उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

EE

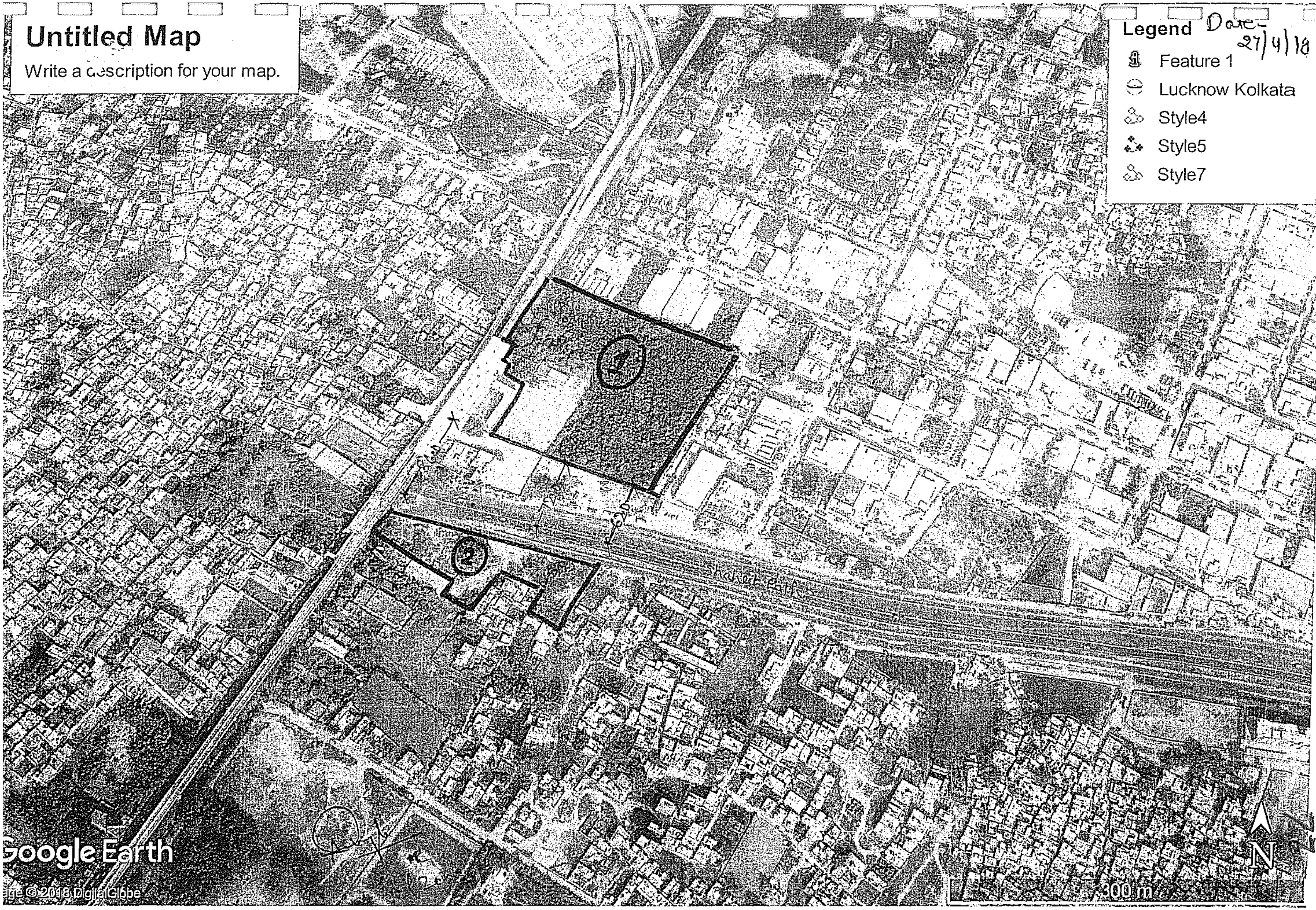
Untitled Map
Write a description for your map.
Legend
Date- 27/4/18
Feature 1
Lucknow Kolkata
Style4
Style5
Style7
1
2
N
300 m
Google Earth
Image © 2018 DigitalGlobe

विषय संख्याः 17 पृष्ठ संख्याः 78

विषयः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों पर स्टिल्ट फ्लोर की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

आख्याः

महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में आवासीय भूखण्डों पर प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अध्याय–26 के आवासीय भूखण्डों में बुह–आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु अपेक्षाएं के अन्तर्गत 26.7 (iii) में पार्किंग व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान है:–

"पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनिवार्य होगा। स्टिल्ट का उपयोग केवल पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया जायेगा। इसमें जीना/लिफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा।" का उल्लेख है (छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर संलग्न)।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रायः प्राधिकरण नियोजित एवं स्वीकृत आवासीय योजनाओं में यह देखा गया है कि छोटे भूखण्डों में पार्किंग स्पेस पर्याप्त नहीं रहता है जिस कारण अध्यासियों द्वारा वाहनों को सड़क पर नालियों को अतिक्रमण करते हुए वाहन खड़े किये जाते हैं। यदि इन छोटे भूखण्डों पर भूतल पर स्टिल्ट फ्लोर (पार्किंग हेतु) निर्माण अनुमन्य/अनिवार्य कर दिया जाए तो नालियों एवं सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होगा एवं आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। प्राधिकरण द्वारा नियोजित योजनाओं एवं स्वीकृत योजनाओं में भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य 150 वर्गमी0 के अधिक आवासीय भवन/भूखण्डों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर बनाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि पीछे के सेटबेक में कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। अतः आवासीय भवन/भूखण्डों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर को अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में नियोजित योजनाओं एवं स्वीकृत योजनाओं में 150 वर्गमी0 क्षेत्रफल से अधिक आवासीय भवन/भूखण्डों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर पीछे के सेटबेक में कोई भी निर्माण न करने की शर्त पर स्टिल्ट फ्लोर की अनुमन्यता एवं शासन को संदर्भित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अध्याय–26

आवासीय भूखण्डों में बहु–आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

26.1	सामान्य अपेक्षाएं	(i) महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में आवासीय भूखण्डों पर इस उपविधि के प्राविधानों के अधीन बहु–आवासीय इकाईयों की अनुमति देय होगी।
		(ii) शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं/ले–आउट प्लान्स के अन्तर्गत बहु–आवासीय इकाईयों की अनुमति ले–आउट प्लान के प्राविधानों के अनुरूप दी जाएगी। विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ऐसी योजनाओं को चिन्हांकित किया जाएगा जहाँ बढ़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन/सुदृढ़ीकरण सम्भव है, अथवा जहाँ विकास कार्यों का स्तर घनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है।
26.2	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर तथा अधिकतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से कम होगा।
26.3	पहुँच मार्ग	शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं/ले–आउट प्लान्स जो विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चिन्हांकित की जाएंगी, के अन्तर्गत भूखण्ड न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा, जबकि नई प्रस्तावित की जाने वाली आवासीय योजनाओं में भूखण्ड न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होगा।
26.4	आवासीय इकाई का न्यूनतम तल क्षेत्रफल एवं इकाईयों की संख्या	आवासीय इकाई का न्यूनतम तल क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर होगा तथा आवासीय भूखण्डीय विकास में अधिकतम 20 इकाईयाँ अनुमन्य होंगी। 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर प्रत्येक तल पर एक ही आवासीय इकाई अनुमन्य होगी जबकि 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों में 300 वर्ग मीटर के पश्चात प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक अतिरिक्त आवासीय इकाई अनुमन्य होगी।
26.5	भवन की अधिकतम ऊँचाई	भवन की अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट फ्लोर सहित 15 मीटर होगी। 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों में स्टिल्ट एवं तीन मंजिलों तथा 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों में स्टिल्ट एवं चार मंजिलों का निर्माण अनुमन्य होगा।
26.6	सैट–बैक, भू–आच्छादन, एफ.ए.आर.	(I) भवनों में सैट–बैक निम्नवत् होंगे:–

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सैट–बैक (मीटर)			
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व–1	पार्श्व–2
(क) रो– हाउसिंग				
150 से अधिक 300 तक	3.0	3.0	–	–
(ख) सेमी–डिटेच्ड				
300 से अधिक 500 तक	4.5	4.5	3.0	–
(ग) डिटेच्ड				
500 से अधिक 1000 तक	6.0	6.0	3.0	1.5
1000 से अधिक 1500 तक	9.0	6.0	4.5	3.0
1500 से अधिक 2000 से कम	9.0	6.0	6.0	6.0

80

		(II)	भवनों में भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. निम्नवत होंगे:–

भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू–आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.
150 से अधिक 300 तक	65	1.75
300 से अधिक 500 तक	50	1.50
500 से अधिक 2000 से कम	45	1.25

26.7	पार्किंग व्यवस्था	(i)	आवासीय इकाई के निर्मित क्षेत्रफल के अनुसार निम्नवत पार्किंग का प्राविधान करना होगा:–

आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्रफल	प्रत्येक आवासीय इकाई हेतु समान कार स्थल की संख्या
100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक	01
100 से अधिक–150 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक	1.25
150 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल	1.50

		(ii)	'समान कार स्थल' के लिए सर्कुलेशन एरिया सहित निम्न मानक होंगे:– (क) खुले क्षेत्र में पार्किंग : 23 वर्ग मीटर (ख) कवर्ड पार्किंग : 28 वर्ग मीटर (ग) बेसमेन्ट में पार्किंग : 32 वर्ग मीटर
		(iii)	पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनिवार्य होगा। स्टिल्ट का उपयोग केवल पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा। इसमें जीना/लिफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा।
26.8	अन्य अपेक्षाएं	(i)	उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु–आवासीय इकाईयां अनुमन्य किये जाने से पूर्व आवेदक से उ.प्र. नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के प्राविधानानुसार विकास शुल्क जमा कराया जाएगा।
		(ii)	नियोजित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्डों को समेकित (Amalgamate) कर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
		(iii)	सम्बन्धित कालोनी/क्षेत्र (अनुमोदित ले–आउट पलान से आच्छादित क्षेत्र) की डेन्सिटी महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में निर्धारित अधिकतम डेन्सिटी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अन्यथा डेन्सिटी में संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त ही इकाईयों का निर्माण अनुमन्य किया जाएगा।
		(iv)	भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति के समय स्ट्रक्चरल इन्जीनियर का प्रमाण–पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(v)	भवन की ऊँचाई ए.एस.आई के रेगुलेटेड एरिया, एयरपोर्ट फनल जोन तथा अन्य स्टैच्यूटरी नियंत्रण (यदि हो), आदि से नियन्त्रित होगी।
		(vi)	भवनों का नियोजन, अभिकल्पन एवं निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के भाग–4 'फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी' की अपेक्षानुसार अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
		(vii)	भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार होंगी।
		(viii)	चार से अधिक आवासीय इकाईयों की स्थिति में उ.प्र. अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 एवं तद्धीन बनाए गए रूल्स एवं बाई लाज प्रभावी होंगे।

विषय संख्या : 18 पृष्ठ संख्या 81

विषय :—मा0 विधान परिषद की अंकुश समिति द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनार्जित भूमि खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सापेक्ष शासनादेश संख्या—4128/9—अ0—3—2002—20 एलए/92 (अ.ब.) दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

भूमि खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा का अर्जन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया था, अर्जन के समय उक्त भूमि पर आवेदक श्री कुलदीप मेहरा पुत्र श्री सेवाराम मेहरा व अन्य का नाम अंकित था।

भूमि के कय की दर निर्धारण करने हेतु शासनादेश संख्या—2/2015/215/एक—13—2015—20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के आलोक में अपर जिलाधिकारी—भू0अ0 के पत्र संख्या—1447/अ0जि0अ0 (भू0अ0), न0म0पा0—2 लखनऊ दिनांक 11.01.2016 के साथ संलग्न जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 05.01.2016 के कार्यवृत्त में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में अपर जिलाधिकारी—''वित्त एवं राजस्व'' लखनऊ, अध्यक्ष, जिला (लघु एवं वृहद परियोजना) की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति द्वारा ग्राम—औरंगाबाद खालसा की भूमि खसरा संख्या—36 जो तत्समय अर्जन से अवशेष रह गया था, का कय मूल्य निर्धारित किया गया।

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 जो दिनांक 01.01.2014 लागू है, के अनुसार भूमि का प्रतिफल रॉ—लैण्ड के अनुसार तय किया गया है। प्रतिकर निर्धारण हेतु बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रतिफल का निर्धारण कलेक्टर सर्किल रेट के आधार पर किया जाना उचित पाया गया है, जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि नगरीय क्षेत्र में होने के कारण खसरा संख्या—36 के भूमि की दर 3,60,00,000.00 (तीन करोड़ साठ लाख रूपये मात्र) प्रति हे0 शासनादेश के अनुसार मूल्य सहित कुल रू0—7,20,00,000.00 प्रति हे0 प्रतिफल दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार 0.190 हे0 भूमि का कुल मूल्य 6840000.00 होता है। 100 प्रतिशत शोलेशियम के अनुसार कुल मूल्य रू0—1,36,80,000.00 होता है

तत्पश्चात उक्त भूमि को न्यायालय उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा धारा—143 भू0राजस्व अधिनियम के तहत भूमि को अकृषित घोषित कर दिया गया। इसके बाद आवेदक द्वारा पुनः आवासीय दर पर भुगतान किये जाने हेतु आवेदन किया गया, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को संदर्भित करते हुए किया गया, समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 17.01.2017 में प्रश्नगत भूखण्ड को आवासीय मानते हुए 10 करोड़ प्रति हे0 अर्थात 10 हजार रूपये प्रतिवर्गमी0 के अनुसार

प्रतिकर तय किया गया, जिसके अनुसार दो गुना करने पर रू0–20000.00 प्रति वर्गमी0 के आधार पर कुल प्रतिकर धनराशि रू0–3,80,00,000.00 होता है।

समिति के उक्त निर्णय से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः असहमति व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 की ओर से पत्र दिनांक 24.06.2017 को समिति के समक्ष पुनः विचार हेतु भेजा गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा उक्त भूमि को धारा–80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत पूर्व में अकृषित घोषित की गयी भूमि को तहसीलदार की जांच आख्या के अनुसार प्रश्नगत भूमि को राजस्व संहिता की धारा–82 के अन्तर्गत पुनः पूर्व पारित आदेश धारा–80 को दिनांक 16.08.2017 को वापस ले लिया गया।

दर्ज समस्त खातेदारों द्वारा खसरा संख्या–36 रकबा 0.190 हे0 समस्त भूमि को कृषिका प्रोजेक्ट प्रा0लि0 द्वारा मैनेजर श्री रविकान्त शुक्ला पुत्र श्री ब्रह्मानन्द शुक्ला कार्यालय 5/258 विपुल खण्ड–5, गोमतीनगर, लखनऊ के पक्ष में बैनामा दिनांक 13.02.2017 के द्वारा विक्रय कर दी गयी, जिसका नामान्तरण नायब तहसीलदार खुशहालगंज, सरोजनीनगर, द्वारा कर दिया गया तथा इसकी अमल दरामद वर्तमान खतौनी पर अंकित कर दी गयी। अब प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में दर्ज खातेदारों कुलदीप मेहरा आदि का कोई स्वामित्व नहीं है।

समिति के समक्ष उक्त समस्त तथ्य प्रस्तुत होने पर समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक 06.10.2017 को यह निर्णय लिया गया कि "उक्त भूखण्ड के मूल्यांकन की दर कृषित भूमि के आधार पर तय किया जाना चाहिए न कि आवासीय। उक्त के दृष्टिगत खसरा संख्या–36 की दर के सम्बन्ध में दिनांक 17.01.2017 को लिया गया निर्णय वापस लिया जाता है। चूंकि वर्ष 2015 में प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसी दशा में समिति के द्वारा दिनांक 05.01.2016 में निर्णय लिया गया जोकि प्रभावी रहेगा। उक्त भूखण्ड के किसी अंश पर कोई निर्माण है, तो उसके निर्माण का मूल्य नियमानुसार अलग से आंगणित किया जायेगा। "

समिति द्वारा किये गये उक्त प्रतिकर निर्धारण के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा देय प्रतिकर रू0–1,36,80,000.00 बनता है, जिसे दिये जाने हेतु कृषिका प्रोजेक्ट प्रा0लि0 द्वारा मैनेजर श्री रविकान्त शुक्ला पुत्र श्री ब्रहम्मानन्द शुक्ला कार्यालय–5/258 विपुल खण्ड–5 गोमतीनगर, लखनऊ को विभागीय पत्र संख्या–808/ऐीस0/तह0/2017 दिंनाक 13.11.2017 के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है, किन्तु अभी तक प्रतिकर भुगतान हेतु वांछित प्रपत्र/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने पर नियमानुसार उपरोक्त धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार विभागीय पत्र संख्या–46/एसी0/तह0/2018 दिनांक 20.01.2018 के माध्यम से अनु सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को तद्नुसार अवगत कराया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जांच किये जाने के सम्बन्ध में समिति की दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को हुई। मा0 समिति की उक्त बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या–810/वि0प0–समिति–2 विधान परिषद सचिवालय (समिति अनुभाग–2) लखनऊ दिनांक 05.01.2018 के साथ प्राधिकरण को प्राप्त हुआ। कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–1 में यह उल्लेख है कि :– *"प्राधिकरण की ओर से मा0 सभापति महोदय को अवगत कराया गया है कि मुआवजा देने के लिए तैयार है, किन्तु इतनी बड़ी मात्रा में प्लाट उपलब्ध नहीं है",* जिसपर मा0 सभापति महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया है कि :–*"जिलाधिकारी कोई प्रोविजन नहीं कर सकते हैं, यह समिति निर्णय लेगी कि उनको मुआवजे के रूप में धनराशि दी जाये या जमीन दी जाये। यह समस्सा आपकी है कि आप उन्हें जमीन कैसे देंगे। समिति की राय है कि आप उन्हें जमीन के बदले जमीन ही दीजिए। इस प्रकरण को स्थगित किया जाता है।"*

प्रश्नगत अनार्जित भूमि खसरा संख्या–36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सापेक्ष शासनादेश संख्या–4128/9–आ0–3–2002–20 एलए/92 (अ.ब.) दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव</u>

मा0 विधान परिषद की अंकुश समिति द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अनार्जित भूमि खसरा संख्या–36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सापेक्ष शासनादेश संख्या–4128/9–आ0–3–2002–20 एलए/92 (अ.ब.) दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव

विषय संख्या : 19 पृष्ठ : 84

दि–हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 लखनऊ द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–10507/एम0बी0/2010 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 एवं पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के अनुपालन में समिति को भूमि देने विषयक।

उक्त विषयक सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 के पत्र दिनांक–11.05.2015 के अनुसार दि–हिमालयन सहकारी आवास समिति की अर्जित ग्राम मखदूमपरु की खसरा संख्या–61, 152, 154, 178ख, 321/182, 156, 51, 169, 172ख, 100, 296, 151, 81, 130, 145, 239अ ब, 159, 79, 80, 132, 16, 18, 121 का कुल रकबा 46 बीघा 15 बिस्वा भूमि है। उक्त क्षेत्रफल के सम्बन्ध में समिति द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये बैनामें की छायाप्रति के अनुसार समिति की कुल 40–11–8–0 बीघा भूमि होती है।

ग्राम मखदूमपरु की खसरा संख्या–61, 152, 154, 178ख, 321/182, 156, 51, 169, 172ख, 100, 296, 151, 81, 130, 145, 239अ ब, 159, 79, 80, 132, 16, 18, 121 का अधिग्रहण अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 में किया जा चुका है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4/17 व 6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन कमशः दिनांक 05.09.2000 व 16.02.01 को शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि का कब्जा 11.07.2002 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा दि0–21.10.08 को अभिनिर्णय घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार भूमि की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/ल0वि0प्रा0 में निहित हो चुका है।

रिट याचिका संख्या–1147/एम0बी0/2004 व रिट याचिका संख्या–3255/एम0बी0/2005 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक के अनुपालन में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के अनुसार समिति की अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि की उपलब्धता के आधार पर खसरा संख्या–132, 239अ, ब एवं 159 स्थित ग्राम मखदूमपुर क्षेत्रफल 9–10–0–0 बीघा के बदले 50 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का अनुमोदन तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 24.05.06 को व ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या–79, 80, 169, 172 क्षेत्रफल 2–14–0–0 बीघा के सापेक्ष 50 प्रतिशत विकसित बैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने का अनुमोदन दिनांक 25.09.06 को तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया था। समिति के प्रकरण में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन के कम में प्राधिकरण व दि हिमालययन सहकारी आवास समिति लि0 के मध्य दिनांक 27.06.2006 एवं 24.03.2007 को दो अलग–अलग अनुबन्ध निष्पादित हुये। अनुबन्ध के माध्यम से समिति को उपलब्ध करायी गयी कुल क्षे0–15522 वर्गमी0 भूमि के सापेक्ष विकास शुल्क की धनराशि समिति द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा किया जाना था।

अनुबन्ध के अनुसार समिति को उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि क्षे0–15522 वर्गमी0 भूमि का कास्टिंग विभाग द्वारा की गयी गणना के अनुसार समिति द्वारा वर्ष 2009 में धनराशि रू0 4,28,09,841.71 प्राधिकरण कोष में जमा की जानी थी, परन्तु समिति द्वारा वर्ष 2009 तक कुल रू0 2,00,48,221.00 धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा की गयी, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 06.08.09 को समिति द्वारा जमा की धनराशि रू0 2,00,48,221.00 के सापेक्ष 7269.08 वर्गमी0 क्षेत्रफल तक की भूमि का निबन्धन

किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी, के अनुपालन में समिति से समायोजन शुल्क के मद में अवशेष धनराशि प्राधिकरण कोष में दिनांक 31.08.09 तक जमा किये जाने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 19.08.09 के माध्यम से समिति को पत्र प्रेषित किया गया तथा समिति को उपलब्ध कराये जाने वाले क्षे0—7269.08 वर्गमी0 भूमि के सम्बन्ध में बल्कसेल विभाग द्वारा निबन्धन की कार्यवाही की जा रही है, परन्तु समिति को उपलब्ध कराये जाने वाले क्षे0—15522 वर्गमी0 भूमि में से क्षे0—9118.00 वर्गमी0 भूमि समिति को उपलब्ध नही करायी जा सकी।

प्राधिकरण द्वारा क्षे0—9118 वर्गमी0 भूमि, समिति को उपलब्ध न हो पाने के कारण समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या—10507/एम0बी0/2010 योजित की गयी, जिसमे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समिति को भूमि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में तत्कालीन प्रभारी अधिकारी—अर्जन द्वारा दिनांक 02.10.13 में समिति को हरदोई रोड योजना सेक्टर आई में कुल क्षेत्रफल 9118.00 वर्गमी0 भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिषतथ पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु हरदोई रोड योजना सेक्टर—आई में किसानो से क़ब्जा न मिलने के कारण अभियन्त्रण खण्ड द्वारा क्षेत्रफ़ल 9118.00 वर्गमी0 भूमि का कब्जा समिति को उपलब्ध नही कराया जा सका, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन अधिषासी अभियन्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.11.15 को प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.15 को आदेश पारित किया गया, जो निम्न है:—

"Learned counsel appearing for the Development Authority shall file an affidavit in the regard with in 10 days annexing the reason for denotification of the area earlir declared as green belt and the purpose for which the Development Authority intends to use the said land. The Development Authority shall also indicate in the affidavit other vacant land which are available and can be allotted to the petitioner in lieu of the land, which was acquired.

*List again immidiatly after 10 after***

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक—26.11.15 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा समिति को उपलब्ध कराये जाने वाले क्षे0—9118.00 वर्गमी0 भूमि में से सम्पत्ति अनुभाग द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत रिक्त 30 भवन/भूखण्डों की सूचना उपलब्ध करायी गयी, जिसका क्षेत्रफल 3885.50 वर्गमी0 है। जिसे प्राधिकरण द्वारा दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 के पक्ष में आवंटित की जा चुकी है तथा निबन्धन की कार्यवाही बल्क सेल अनुभाग द्वारा की जा रही है। समिति को प्राधिकरण द्वारा किये गये अनुबन्ध दिनांक 27.06.2006 एवं 24.03.2007 के अनुसार अवशेष क्षेत्रफल 5232.50 वर्गमी0 भूमि समिति को उपलब्ध कराया जाना अवशेष है।

उक्त सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या—10507/एम0बी0/2010 में ही दिनांक 10.04.2018 को निम्नवत आदेश पारित किये गये है :—

1. *Gist of the issue appears to be that land allotted to the petitioner Cooperative Society was required to be developed by the Lucknow Development Authority.*

2. *When we refer to the orders available in the ordersheet we find that there appears to be an attempt of transferring responsibility by Lucknow Development Authority to the State and vice versa.*
3. *We have taken note of the fact that this petition is pending since 2010. Right of the petitioner has not been disputed.In such circumstances, we direct Principal Secretary (Housing), Civil Secretariat, Lucknow and Chairman, Lucknow Development Authority to resolve the issue, take appropriate steps and ensure that the needful is done in accordance with law.*
4. *List after four weeks.*
5. *Let a copy of this order be sent to Principal Secretary (Housing), Civil Secretariat, Lucknow and Chairman, Lucknow Development Authority by Senior Registrar of the Court.*
6. *We find that the orders in the order-sheet are in tatters.*
7. *We direct the Senior Registrar to ensure that orders are appropriately preserved.*

अतः मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समिति को देय अवशेष भूमि क्षे0–5232.50 वर्गमी0 को चिन्हित करते हुए निर्णय लिया जाना है तथा न्यायालय को सूचित करना है।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा उपलब्ध रिक्त भूमि शारदानगर विस्तार योजना में प्रस्तावित की गयी है। यथानुसार प्रस्ताव बोर्ड द्वारा निर्णय हेतु प्रस्तुत हैं।

प्रस्ताव :–

दि–हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 लखनऊ द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–10507/एम0बी0/2010 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 एवं पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के अनुपालन में समिति को शारदानगर विस्तार योजना में 5232.50 वर्गमी0 विकसित भूमि भूखण्ड के रूप में दिये जाने के विषयक।

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।